खण्ड-460, अंक-4
बुधवार, 02 भाद्रपद, शक संवत् 1928
(24 अगस्त, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
गोरखपुर की घटना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-44
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	44-45
वाराणसी कैण्ट अन्तर्गत जिउधीपुर शराब ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
पुराना किला (सदर) लखनऊ में ओवर ब्रिज का उद्घाटन एवं ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट को चालू करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सरकारी मंशा के विपरीत कार्य में प्रगति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	46-47
शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज-हाटा मार्ग का निर्माण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर व बांसडीह में अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
लखनऊ के महोना क्षेत्रान्तर्गत राजकीय हायर सेकेन्ड्री कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद मुरादाबाद के कॉठ क्षेत्र में ब्लाक भीकनपुर से नन्हेड़ा अल्पारपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	49
जनपद कुशीनगर में 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र बरवा राजा पाकड़ में 20 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
फैजाबाद के अयोध्या क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद हमीरपुर में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनवाए गए चैक डैमों के निर्माण में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50-51

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी के थाना लहचूरा में बढ़ते अपराधों की रोकथाम एवं थानाध्यक्ष के खिलाफ यथोचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में तैनात अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	52
बहुजन समाज पार्टी को संख्याबल के आधार पर सदन में बोलने का समय दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53-54
दस्यु सरगना ददुआ द्वारा ददूू प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	54
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	54
उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	54-55
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	55
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	55-69
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	69-71
अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	71
अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) (स्वीकृत) ...	71-72
अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	72
अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	72
अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	72-73
अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	74
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	74

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	74
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) (स्वीकृत) ...	74-75
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	75
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)...	75
अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	75
अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	76
अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	76
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ...	76
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	76-77
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत)	77
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	77
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	77
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)... ...	78
अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	78-79
अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	79
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	79
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)...	80
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	80
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	80
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	80-81
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	82-83
अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	84
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	84
अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...	84-85
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	86-87
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ...	88
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	88
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	88-89
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)... ...	89
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत)	90-91
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	92
अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	92

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	92-93
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	94
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	94
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	94
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	94-95
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	95
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (पारित)	96-108
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	108-112
नत्थी	113-114

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, 24 अगस्त, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-335

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अजय कुमार, डा0	बागपत	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अजय राय, श्री	वाराणसी	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर	आदित्य विक्रम सिंह	सिद्धार्थनगर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	(बोकू सिंह), श्री	
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अनुग्रह नारायण उर्फ		आलम बदी, श्री	आजमगढ़
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अब्बास अली जैदी उर्फ		इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अमर सिंह यादव पुत्र	हाथरस	उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
श्री सुन्दर सिंह, श्री		ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर

ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन ''आदित्य'', श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर

मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवंत सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	गोण्डा
योगेश भइया, श्री	
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राज अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम जी शुक्ला, श्री	औरैया
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्कू, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद

सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर		

नोट :–औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव) एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोरखपुर की घटना को उठाने का प्रयास

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, कल गोरखपुर में एक घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष-

वह आप नियम-56 में दिये होंगे, वह आयेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कर हरित प्रदेश के गठन का प्रकरण

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य का विभाजन कर हरित प्रदेश गठन किये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो हरित प्रदेश में उ0 प्र0 के कौन-कौन से जिले सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हरित प्रदेश के गठन के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का एक सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल है और वह प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हरित प्रदेश निर्माण के लिए जनमत जागृत करने के लिये रैलियां आयोजित कर रहा है और सरकार उसके सहयोग से सरकार चला रही है। इनके सहयोगी दल रालोद का मुख्य एजेण्डा है और वह इस मुद्दे पर अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इनके इस बिन्दु पर सहमति रखती है या सरकार की इस पर असहमति है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यदि सरकार की इस पर असहमति है तो मैं सरकार से सदन में इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में सरकार हरित प्रदेश या अन्य किसी नाम से एक अन्य प्रदेश विभाजन के बारे में विचार नहीं करेगी, क्या यह आश्वासन सरकार सदन में देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बाजपेयी जी एक ऐसे राजनैतिक दल में हैं, जिसकी सत्ता देश में और प्रदेश दोनों जगह रही हैं और यह मिनिमम कामन प्रोग्राम के तहत सरकार चला भी चुके हैं

और उसमें आपके सहयोगी दल बहुत सी ऐसी मांगें करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, सरकार में रहते हुये भी, जिनसे यह लगता था कि यह गाड़ी आगे नहीं चलेगी, लेकिन आपने अपना समय पूरा किया। राष्ट्रीय लोकदल हमारा सहयोगी दल है और हमारे साथ में न सिर्फ सरकार में शामिल है बल्कि सरकार भी चला रहा है और अगली सरकार भी बनायेगा और चलायेगा। यह हमारे उनके बीच की बात है कि वह क्या मांग करते हैं और हमें उस पर क्या निर्णय लेना है। लेकिन बड़ी हैरत हो रही है कि आप उनके शुभचिन्तक कब से हो गये, आप हमारे शुभचिन्तक कब से हो गये और बंटवारे जैसी बात के लिये आप एक नये तरीके से बात की शुरुआत क्यों करना चाहते हैं क्योंकि बंटवारा प्रदेश का हो या देश का हो, उससे इस सरकार ने असहमति का इजहार किया है इस वक्त ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के सामने, जिसमें प्रदेश के बंटवारे का कोई प्रश्न उठता हो।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, लोकदल की तरफ से बात आई है और लोकदल का जिक्र आया है। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा भाजपा को और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को, कि उन्होंने हमारे एजेण्डे का समर्थन करना शुरू कर दिया है। जब हम यह प्रस्ताव लाये थे, चौदहवीं विधान सभा में, तो अगर मेरी मेमोरी गलत नहीं है तो माननीय टण्डन जी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। अब अगर आपने यह निर्णय कर लिया है और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का संकल्प कर लिया है तो आप पुनः बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं और रालोद इस प्रश्न के माध्यम से प्रदेश की जनता को संदेश तो दे दें कि उनकी इस पर क्या भूमिका है ?

डा0 अजय कुमार-

प्रदेश में और देश में वर्तमान समय में गठबन्धन सरकारों का दौर चल रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, उसको अगर आप देखें कि यदि हां, तो हरित प्रदेश में उ0 प्र0 के कौन-कौन से जिले सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ? मान्यवर, इतनी ज्यादा दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी को इसमें है कि आप इसमें शामिल होने वाले जिले भी जानना चाहते हैं, तो इससे बल मिल रहा है।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, इस समय गठबन्धन सरकारों का दौर है और हर पार्टी अपने एजेन्डे को लागू करना चाहती है और राष्ट्रीय लोकदल के एजेन्डे में गांव एवं किसान का हित और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का सवाल सर्वोच्च एजेन्डे में है और हम इसके लिए कोई भी कार्यवाही करने को तैयार है और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, इसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसे कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे थे।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

यह बीच में बोलने लगते हैं।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, राष्ट्रीय लोकदल का नाम आया, इसलिए मैंने अपनी बात कह दी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हरित प्रदेश के गठन के लिए क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ज्ञापन सरकार को दिया गया है ? यदि दिया गया है तो उसमें कौन-कौन से जनपदों का प्रस्ताव किया गया है और उस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, समय-समय पर मेमोरेन्डम्स दिये जाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दिलचस्पी है, यह तो इस प्रश्न से ही जाहिर हो गया है। अगर कुछ जिले कम रह गये हैं तो उसका सुझाव इस सदन में आ ही जाएगा। मेमोरेन्डम्स भी हैं हमारे पास, मैं मण्डल बताये देता हूं, मुरादाबाद मण्डल, मेरठ मण्डल, आगरा मण्डल और बरेली मण्डल।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सहारनपुर मण्डल नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ज्ञापन सरकार को दिया गया है और अगर दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है, इसका उत्तर मुझे नहीं दिया गया है। दूसरे नम्बर पर मेरा प्रश्न था कि कौन-कौन से मण्डल उसमें शामिल हैं, उसका उत्तर दे दिया गया है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन/ज्ञापन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक संगठन है, जिसकी तरफ से मेमोरेन्डम दिया गया है।

(श्री तेजपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जाइये। प्रश्न पूछियेगा तब अपनी बात कहियेगा। माननीय मंत्री जी उत्तर ढूंढ रहे हैं। पहले मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए या मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठ जाएं तब आप अपनी बात कहें।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, कागज ढूंढने के विशेषज्ञ आपके पीछे बैठे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी, आप जानते हैं मैं अपना काम खुद करता हूं। आपके जैसे थोड़ी चलायी है कि जो पीछे से आ गया मैं तो आगे से काम चलाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उत्तर मिला ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब तक मा0 मंत्री जी उत्तर ढूंढ रहे हैं तब तक और अनुपूरक पूछने की इजाजत दे दें, हमको इजाजत दे दें।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें, मैं उत्तर बुता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक ज्ञापन है राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी का और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल का, जिसमें राव कैसर सलीम, जिलाध्यक्ष एवं समस्त राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता की तरफ से है। यह ज्ञापन आठवें महीने के सन् 2005 का है, जो उन्होंने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न यह है कि यह बता दें कि किनकी तरफ से ज्ञापन है ? निश्चित रूप से किसी दल के जनप्रतिनिधि सांसद और विधायक शामिल हैं उनकी तरफ से कोई ज्ञापन नहीं है। आप बता दें कि किसी विधायक या सांसद की तरफ से ज्ञापन हो या उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से प्रस्ताव आया हो, ऐसा आपके पास नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय लोकदल सहयोगी दल है सरकार में और उनका यह अधिकार बनता है।

श्री हुकुम सिंह-

ज्ञापन तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, ज्ञापन तो उनकी पार्टी की तरफ से तथा समस्त कार्यकर्ता आ गया तो सब आ गये। आप बैठिये। जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि एक पदाधिकारी तथा समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो उसमें सभी आ गये।

श्री हुकुम सिंह-

क्या किसी सांसद या विधायक के हस्ताक्षर उस ज्ञापन पर हैं, यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने जानना चाहा कि कितने मण्डल हैं, आपको मण्डल बता दिये गये, आपने जानना चाहा कि किसकी तरफ से ज्ञापन/मांग-पत्र है वह बता दिया गया। आपने यह नहीं जानना चाहा कि किस महीने या किस सन् में दिया गया, आपको वह भी बता दिया गया, आपने यह नहीं जानना चाहा कि किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया, आपको वह भी बता दिया। अब आपका इन सब बातों को सुनने के बाद समर्थन है या नहीं यह सरकार जानना चाहती है।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने यह जानना चाहा कि किसी विधान मण्डल दल द्वारा या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन दिया गया या नहीं दिया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपसे बराबर कह रहा हूं कि लोकदल हमारा सहयोगी दल है।

श्री अध्यक्ष-

15 मिनट हो गये हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मूल प्रश्नकर्ता को 2 प्रश्न अनुपूरक करने की अनुमति होती है।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न पूछ लीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज सदन को आश्वस्त करेगी कि इस प्रदेश का हरित प्रदेश या किसी अन्य नाम से कोई और विभाजन पर सरकार विचार नहीं करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इनका तो काम ही यह है, इनका काम तो तोड़ दो, मार दो, जला दो, लूट लो और बरबाद कर दो।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप हमें संरक्षण तो दे सकते हैं। यहां पर कोई राम लीला का मंचन नहीं हो रहा है जो मंत्री जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अगर उत्तर नहीं आता है तो आपके पास पर्याप्त अधिकार हैं। आप या तो प्रश्न स्थगित कर दीजिए या प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दीजिये। जो उत्तर आया है वह सही नहीं है। प्रश्न पूछा है कि क्या विचाराधीन है। मंत्री जी "हां" कह दें या "ना" कह दें। जो उत्तर हो वह बता दें ?

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, चूंकि हमारी पार्टी को संदर्भित किया है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप कोई प्रश्न पूछिये।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके माध्यम से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल की बात हुयी है, एजेन्डे की बात हुयी है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की जहां तक बात है 1954 में फजल अली कमीशन बना जिसमें तेज बहादुर सप्रू जैसे विद्वान लोग थे और उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की गयी। राष्ट्रीय लोकदल ने पुनर्गठन की बात कही है और हरित प्रदेश की बात कही है। बाजपेयी जी को बड़ी शंका है, हुकुम सिंह जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि विधान सभा में एक प्रस्ताव आया था और विधान सभा में एक घण्टे की चर्चा हुयी थी तो यह कहना कि किसी विधायक के द्वारा या पार्टी के द्वारा नहीं रखा गया ठीक नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पिछली बार जब विधान सभा में हरित प्रदेश का मुद्दा उठाया गया था तब लोकदल के सभी मंत्री एवं विधायक सदन छोड़कर चले गये थे। अब कैसे हरित प्रदेश की बात कर रहे हैं ?

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय बाजपेयी जी, माननीय हुकुम सिंह जी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार से पूछिये।

श्री तेजपाल सिंह-

हम केवल यह सरकार से और संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो जिज्ञासा दिखायी है क्या यह हरित प्रदेश का समर्थन करते हैं या नहीं ?

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से विगत छः माह में हुई मृत्यु एवं इसके रोकथाम की कार्ययोजना

**श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से 1 जनवरी, 2006 से 10 अगस्त, 2006 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

वायरल इन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) से 01 जनवरी, 2006 से 10 अगस्त, 2006 तक कुल 315 ग्रसित तथा 60 लोगों की मृत्यु हुयी। सीरम परीक्षण द्वारा 10 जे0ई0 हेतु धनात्मक पाये गये, जिनमें से केवल एक की मृत्यु हुयी।

जी हां। मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) नियंत्रण कार्ययोजना, 2006 बनायी गयी है।

मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) नियंत्रण कार्ययोजना, 2006 के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर नियंत्रण, रोगियों की उपचार व्यवस्था, रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण, सुअर मच्छरों के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय, मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय तथा कीटनाशकों का छिड़काव एवं फागिंग, समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से दुर्भाग्य से सदन में स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं जबकि स्वास्थ्य विभाग बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है इसलिए हम तकनीकी रूप से उनको उत्तर देने से रोक भी नहीं सकते लेकिन राजस्व मंत्री जी को राजस्व के बारे में अधिक जानकारी होगी इसमें जो विभाग ने उत्तर दे दिया वही वह दे देंगे। पहली बार स्वास्थ्य विभाग में मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों का वर्गीकरण किया गया। पिछले साल दुर्भाग्य से यह बीमारी आई थी और इस बीमारी में हजारों बच्चे मर गए थे। गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोण्डा, बहराइच सहित पूर्वांचल के तमाम जनपदों में यह बीमारी फैली थी और इस पर सदन में चिन्ता व्यक्त की गई थी। सरकार ने यह भी कहा था कि इसके लिए जो प्रिवेंटिव हैं उसको अगले साल सरकार पहले से लेगी सरकार वैक्सीन उपलब्ध करायेगी पिछले साल वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया था। सरकार ने यह कहा था कि जितने निरोधात्मक कदम होंगे वह उठाए जायेंगे और मस्तिष्क ज्वर वायरल इन्सेफ्लाइटिस और जापानी इन्सेफ्लाइटिस से उपचार की व्यवस्था की जायेगी पहली बार इस बीमारी का वर्गीकरण किया गया है। सरकार ने बताया है कि 1 जनवरी, 2006 से 10 अगस्त तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है तो सरकार ने कहा था कि हम कार्य योजना बनायेंगे तो कौन सी कार्य योजना बना रखी है। आज गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में वायरल इन्सेफ्लाइटिस और जापानी इन्सेफ्लाइटिस से ग्रसित एडमिट बच्चे मर रहे हैं उनके लिए दवाएं उपलब्ध नहीं है। आपने भी सहारा चैनल में देखा होगा कि उनके लिए दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वायरल इन्सेफ्लाइटिस से जो मौतें हो रही हैं उस सम्बन्ध में सरकार ने कौन सी कार्य योजना बनाई है और जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है। गोरखपुर के सी0एम0ओ0 ने नए मरीजों को लेने से मना किया है। गोरखपुर

पूर्वांचल का केन्द्र है वहां अगर ज्यादा मरीज आयेंगें तो इससे छवि खराब होगी इसलिए बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा इस बीमारी के सम्बन्ध में संवेदनशील जनपद हैं यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है यहां पर इस बीमारी से जो मौतें हो रही हैं उसके लिए क्या सरकार मृतक के परिवारों को मुआवजा देने का काम करेगी, व दवाओं का प्रबन्ध करेगी क्योंकि वहां पर दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

पाल साहब के सम्पूर्ण भाषण में 30-32 सवाल उभरकर आए हैं। मैं जितने प्रश्न ध्यान में आयेंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

क्या मंत्री जी पाल साहब के मस्तिष्क का इलाज करेंगे ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह तो व्यक्तिगत आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब स्वस्थ हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

पाल साहब के बिल्कुल बगल में बैठता हूं।

यह कुशाग्र बुद्धि के हैं इसलिए इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हो। हुकुम सिंह जी ने बताया कि टण्डन साहब के मस्तिष्क का ऊपर वाला बिल्कुल खाली है। क्या सरकार उसमें कुछ भरने की व्यवस्था करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

नेता, विरोधी दल ने जो पाल साहब के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष-

आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार-

जिनके सिर में बाल तक नहीं दिख रहे हैं ऊपर क्या होगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं यह कहना चाहता हूं पाल साहब ने जो कुछ कहा है किसी मस्तिष्क की गड़बड़ी के कारण नहीं कहा है। यह एक सम्वेदनशील प्रकरण है। पाल साहब ऐसे स्थान से जुड़े हैं, पूर्वांचल में ऐसे इलाके से इसलिए उनके दिल में इन बातों का उठना श्रीमन् स्वाभाविक है। इसलिये अगर दिल से कही बातें किसी को अटपटी लगें तो उसको दिमाग से न जोड़ें, यह मेरा कहना है। प्रमोद कुमार जी ने कहा कि नेता विरोधी दल का ऊपर वाला खाली है। खाली नहीं है, ऊपर वाले में तो हम हैं इसलिए खाली होने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप उत्तर दें।

श्री हुकुम सिंह-

यह तो ऊपर वाले में है। उत्तर कहां देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं, उत्तर आने दीजिए। यह पूर्वांचल का महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अम्बिका चौधरी-

पाल साहब ने जितनी आशंकाएं व्यक्त की हैं वो उन्होंने बहुत सामान्य बात कही है तो मैं सामान्य सा उत्तर दे देता हूं। कोई स्पेसिफिक पूछेंगे तो उसका भी उत्तर दे दूंगा। पूर्वांचल में जितनी भी प्रभावित जनपद हैं प्रत्येक जनपद में न सिर्फ सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा के पैरा मेडिकल के कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है बल्कि सभी अस्पतालों में दवाओं का समुचित और पूरा-पूरा इंतजाम किया गया है। कोई अस्पताल ऐसा नहीं कह सकता कि जो किसी मरीज को जो जापानी इन्सेफलाइटिस या किसी दूसरी तरह के इन्सेफलाइटिस या वायरल से ग्रस्त हो तो दवा के लिये यहां न आये या मेडिकल कालेज न जाय। इस तरह से कोई अस्पताल नहीं कह सकता है। यह सूचना उनकी निश्चित रूप से भ्रामक है। कहीं भी किसी भी जिले में इस तरह की एक भी सूचना रिपोर्ट में नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि क्या बन्दोबस्त किये गये हैं ? बन्दोबस्त के क्रम में जो कम्परेटिव चार्ट है मैं वह तो नहीं रखूंगा लेकिन यह जरूर बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में 13 लाख 49 हजार 47, देवरिया में 10 लाख 72 हजार 683, कुशीनगर में 10 लाख 85 हजार 55, महाराजगंज में 8 लाख 6 हजार 996, खीरी में 1218364 और संत कबीरनगर में 5 लाख 11 हजार 417, सिद्धार्थनगर 7 लाख 92 हजार 944 इतने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। जो वैक्सीनेशन किया गया है उसका परिणाम यह निकला है कि पिछले वर्ष इस महामारी का प्रकोप 34 जनपदों में था और आज अब 16 जनपदों में इसके के ( ) सेज रिपोर्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह हुआ है कि पिछले साल जितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे उसके मुकाबले 21 फीसदी लोग इस बार प्रभावित हुए हैं मंथवार जिस जिले के बारे में आप जानकारी जानना चाहेंगे हम आपको दे देंगे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ इंतजाम नहीं किया और मुख्य मंत्री जी ने और कोई ध्यान नहीं रखा। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वास्थ्य को वरीयता दी है और इस विभाग को स्वयं अपने पास रखकर इसको सर्वोच्च वरीयता दी है। इस बारे में तमाम कदम उठाये गये हैं आप जिस कदम के बारे में जानकारी चाहेंगे हम आपको दे देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, इस महामारी ने पिछले 3/4 साल से पूर्वांचल का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। गत वर्ष भी यह पूछा गया था और सरकार की तरफ से यह जवाब आया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन मान्यवर, यह बीमारी बढ़ते-बढ़ते लखनऊ तक दस्तक दे रही थी। रायबरेली तक यह पहुंच गयी थी। इसका वैक्सीनेशन तो एक अलग

चीज हो गई लेकिन इसके इलाज के लिये जो दवा आती है जिसको पिछली बार केन्द्र सरकार ने जापान और चीन से आयात किया था और जो कि बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाती है। मान्यवर, इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्ष इस बीमारी से अधिकतर लोग इसीलिए मर गये थे क्योंकि वह दवा सरकार के स्टाक में उपलब्ध नहीं थी। मान्यवर, यह सत्य है, अन्यथा इतने लोगों की मौत नहीं होती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे यह समाचार मिला है, यह कहा जा रहा है कि और कहीं मरीजों को न दिखाया जाए सीधे मेडिकल कालेज ले जाया जाए। जब मेडिकल कालेज लाया जा रहा है तो उनको भर्ती करने से इन्कार किया जा रहा है। मेरा सीधा सा सवाल माननीय मंत्री जी से है वैक्सीन कितनी उपलब्ध है इस समय सरकार के नियंत्रण में। कितने वायल वैक्सीन जापान से आयात करके, चीन से आयात करके आई है आपके प्रिवेन्शन से भी बामारी नहीं रुकी। उसके बाद अगर बीमार हुए जो आपके पास उनको बचाने के लिए वैक्सीन कितनी है ? और कब की है जो दवायें होती हैं उनका एक्सपायरी टाइम कम होता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं प्रमोद कुमार जी को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं एक्सपायरी टाइम का झंझट नहीं है क्योंकि आए हुए ही थोड़े दिन हुआ है। दूसरी जानकारी देना चाहूंगा आपको किसने जानकारी दे दी कि जापान से टीका आया है ? जापान से एक वायल भी टीका का नहीं आया है। चीन से आया है चीन से जो आया है वह भारत सरकार ने पूरे देश के लिए तय किया है। निर्यात आयात दवाओं का भारत सरकार करती है। भारत सरकार ने चिन्हित करके डोज दी। पहले चरण में जो जनपद लिए गए उनको डोजेज लगवा दी। गोरखपुर में 97.003 प्रतिशत, देवरिया में 99.86 प्रतिशत, कुशीनगर में 99.01 प्रतिशत महाराजगंज मे 103.93 प्रतिशत, खीरी में 102.95 प्रतिशत, संतकबीर नगर में 94.35 प्रतिशत, सिद्धार्थनगर में 102.19 प्रतिशत इसका महायोग मान्यवर, 99.97 प्रतिशत है जो लक्ष्य था वह कर कर दिया। मूल प्रश्नकर्ता बस्ती के हैं उसकी फीगर अलग से देंगे। भारत सरकार ने बस्ती को इस योजना में शामिल नहीं किया। बस्ती इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली से फ्री डोज वाली वायल थी जो माउस ब्रेन वैक्सीन थी वह 3,99 डोज मंगाई गई और श्रीमन् 81 हजार 458 बच्चों को उससे प्रतिरक्षित किया गया इसलिए जो हमारा लक्ष्य था प्रथम चरण में अपना सर्वाधिक लक्ष्य पूरा किया है। यहां तक कि बिहार नेपाल में लोग प्रभावित होते हैं वह हमारे प्रदेश में आकर इलाज कराते हैं। तो उसका उपचार करते हैं पूरी तरह से हमारे पास दवाओं का इंतजाम है, प्रतिरक्षा का इंतजाम है और इसको हमने किया है और जो पूछेंगे लार्वा का है मच्छरों की मारने की बात है वह बतायेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं तीन प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस सरकार ने अपर आयुक्त गोरखपुर को प्रशासनिक कार्य के अलावा चिकित्सीय कार्य करने की छूट दी है ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अपर आयुक्त गोरखपुर, मेडिकल कालेज गए वहां वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से पूछना शुरू किया। आप यहां कैसे भर्ती हो गए ? आपको बीमारी कब हो गई ? आपको तो डाक्टरों ने गलत तरीके से भर्ती कर दिया ? आप तो पूरे होश में दीख रहे हैं ? आपको तो इन्सेफिलाइटिस हो ही नहीं सकती ? अनावश्यक माहौल क्रिएट करने के लिए आपको जानबूझकर यहां भर्ती किया है ? आप जाओ यहां से। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाओ। मैं गोरखपुर के विधायक के रूप में जसवन्त सिंह विष्ट अपर आयुक्त की इस टिप्पणी को अधिकृत रूप से यहां बता रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने अपर आयुक्त को प्रशासनिक कार्य करने के अलावा चिकित्सीय कार्य करने की छूट दे रखी है ?

गोरखपुर के सरकारी डाक्टरों को एक पत्र जारी हुआ है और कहा गया है कि कोई भी डाक्टर गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस या उससे सम्बन्धित मरीज को भर्ती नहीं करेगा, उसे मेडिकल कालेज भेज देगा। यह आदेश स्वयं उनके हैं या वहां के कमिश्नर या शासन ने कोई ऐसे आदेश दिए हैं ? मैं यह स्वीकार करता हूं कि टीकाकरण बहुत सफल हुआ है, 56 लाख टीके लगाये गए हैं। यह बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या टीके की दूसरी डोज उस क्षेत्र में लगायी जायेगी या नहीं क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीका लगने के बाद मरीजों को दोबारा हुआ या नहीं, मरीजों को टीका लगाने के बावजूद अगर बार-बार उनको टीका लगना चाहिए तो क्या सरकार टीके के उत्पादन के लिए इसी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन हो सके, जैसा पाल साहब ने अपने भाषण में कहा था, क्या सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अग्रवाल साहब ने स्वीकार किया कि टीकाकरण बहुत प्रभावी ढंग से हो रहा है और इसके लिए उन्होंनें बधाई दी है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अग्रवाल साहब ने दो प्रश्न और पूछे हैं, पूछा है कि क्या अपर आयुक्त को प्रशासनिक अधिकार के अलावा चिकित्सीय अधिकार भी दिए गए हैं, इसका सीधा उत्तर है, नहीं, और दूसरी बात कि जनपदों में बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह केवल न्यायालयी कार्य ही करेंगे, ऐसा नहीं है, जब कभी ऐसी महामारी की स्थिति होती है, जैसे एस0डी0एम0, डी0एम0 और आयुक्त हैं, इन चीजों को देखते हैं और जो अधिकारी इसके लिए अधिकृत नहीं भी हैं और वह वहां जायें और देखें तो यह तो स्वागत योग्य है। इसमें दूसरी बात जो इन्होंने कही कि सी0एम0ओ0 ने ऐसा कोई पत्र लिखा है, ऐसा न शासन का कोई विचार है और न ऐसी कोई मंशा है, यदि आप उसकी कोई प्रतिलिपि देंगे तो मैं अलग से भी दिखवा

लूंगा। आपने एक गम्भीर बात कही है। मेरा इसमें निश्चित रूप से कहना है और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है और जिला अस्पताल में आए हुए मरीज को जो ज्यादा गम्भीर हो जाता है, उसे रिफर अस्पताल में भेजने की सामान्य व्यवस्था है और आसपास के जिलों के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज है। इसलिए यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और टीकाकरण की दूसरी डोज का जो प्रश्न है, यह जो चीन से आने वाला डोज है, यह चीनी वैक्सीन सिंगल डोज है, एक डोज लगती है, इसलिए एक व्यक्ति को लगाने के बाद उसे दुबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे जिन बच्चों का टीकाकरण करना है, मैं उसके लिए भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि वह हमें मंगवाकर दें और हम टीकाकरण का कार्य आगे भी करेंगे।

डा0 पी0के0 राय-

अध्यक्ष जी, चीनी इन्सेफ्लाइटिस की बीमारी पिछले 25-26 वर्षों से गोरखपुर में है, पहली बार इतने व्यापक स्तर पर, इसके टीकाकरण का अभियान चलाया गया। हमारे मित्र अग्रवाल साहब ने स्वीकार भी किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि जिन्होंने एक व्यवस्था किया कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस से जो पीड़ित होगा और अगर वह विकलांग हो जाता है तो उसे 50 हजार और मौत होने पर 25 हजार रुपया दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बार जो जापानी इन्सेफ्लाइटिस हो रहा है उसमें जांच में यह पाया गया कि वायरस जापानी इन्सेफ्लाइटिस का न होकर काक्सेटी वायरस से प्रभावित मरीज हैं। लेकिन इसका भी इलाज एक ही तरह का है। तो क्या सरकार इनसे होने वाली मौतों पर पूर्व की व्यवस्था के तहत जो बच्चे विकलांग हो रहे हैं या मर रहे हैं उनके परिजनों को जिस तरह का अनुदान पहले दिया गया है उसी प्रकार से अब भी दिया जाएगा ? मान्यवर, जापानी इन्सेफ्लाइटिस का यह कौन सा इन्सेफ्लाइटिस है यह पता नहीं लग पाता है लेकिन वायरल से जो मौतें हो रही हैं उसमें उसी प्रकार से अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सही है कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस के अलावा इस बार काक्सेटी वायरस का भी प्रभाव मरीजों पर पाया गया है। 303 सिरम की जांच में 17 जापानी इन्सेफ्लाइटिस और 21 काक्सेटी वायरस के प्रभावित मरीज पाये गये और इनसे 2-2 मरीजों की ही मृत्यु हुयी है और जहां तक अनुदान की बात है मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो व्यवस्था हमारी पिछले साल की थी वहीं अनुदान इस वर्ष भी दिया जा रहा है। इस साल परीक्षण और चिकित्सा की व्यवस्था और बढ़ा दी गयी है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों को आपने चिन्हित किया है उसके अतिरिक्त भी बनारस, आजमगढ़ और मिर्जापुर मण्डलों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या सरकार इन मण्डलों में जनपदों को चिन्हित कर सर्वेक्षण कराकर टीकाकरण करने का काम करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम कर रहे हैं। इसमें आजमगढ़ मण्डल, मिर्जापुर मण्डल और फैजाबाद मण्डल भी है। चूंकि वहां पर जापानी इन्सेफ्लाइटिस का प्रभाव कम था इसलिए इन जनपदों में सेकेण्ड फेज में किये जाने की व्यवस्था है। लेकिन जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पहले टीकाकरण कराया जा रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैने कार्य-स्थगन में इस विषय को लगाया था। उसमें जवाब था कि अप्रैल माह से टीकाकरण कार्य शुरू होगा। जैसा कि बताया गया कि टीकाकरण काफी संख्या में हुआ है लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय हैं उसमें मस्तिष्क ज्वर की बीमारी की जांच और टीकाकरण की व्यवस्था है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, न यह व्यवहारिक है और न यह सम्भव है। हमारे पास पूरे प्रदेश के सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि कहां-कहां पर जापानी इन्सेफ्लाइटिस का प्रभाव है। जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है उसे पहले लिया जाएगा और उसके बाद अन्य जनपदों को चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। जापानी इन्सेफ्लाइटिस या ऐसे अन्य किसी तरह के वायरस के उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अस्पताल में उपलब्ध है।

कोई जिला अस्पताल बाकी नहीं है जहां पर इसका उपचार न किया जा सके।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने अपने पहले अनुपूरक में स्पष्ट किया था पर कदाचित यह समझ नहीं पाये। मंत्री जी ने प्रश्नों का उत्तर तो दिया लेकिन उस टीकाकरण के बारे में दिया जो इस रोग से मरने से पहले प्रिवेन्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि जो इस रोग से प्रभावित बच्चे अस्पताल में आ रहे हैं उनके उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग हो रही हैं वह बाहर से खरीदी जा रही हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर या बस्ती के जिला मुख्यालयों में मस्तिष्क ज्वर, वायरल इंफेक्शन और जापानी इन्सेफ्लाइटिस, इन तीनों रोगों से जो प्रभावित हो रहे हैं उनको दवाएं बाहर से न खरीदनी पड़े इसके लिए कोई व्यवस्था की है ? दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि पैरा मेडिकल और मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज चाहे बस्ती हो या आपके जिले का अस्पताल हो वहां पर चाइल्ड स्पेस्लिस्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर बच्चों के डाक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, तो उन डाक्टरों की नियुक्ति या तैनाती का कोई उपाय करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो यह पूछा है कि बाहर से दवाएं खरीदी जा रही हैं तो जहां तक दवाओं की आवश्यकता का प्रश्न है, इतनी दवाओं का प्रबन्ध है कि केवल इन्सेफ्लाइटिस ही नहीं बल्कि अन्य रोगों की दवाएं उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है। अगर इनकी कोई विशिष्ट शिकायत होगी तो पाल साहब क्यों लिखकर देंगे, मैं स्वयं उनसे मिलकर ले लूंगा और इसे दिखवा लूंगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि बच्चों के विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इनका इनसे मतलब नहीं है। जापानी इन्सेफ्लाइटिस के विशेषज्ञ डाक्टर अलग होते हैं और वह प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध है। यही कारण कि जो मृत्यु की दर पूर्व में थी उसके मुकाबले इस साल कम है। पिछले साल अगस्त में मृत्यु दर की संख्या-317 थी वहां इस साल केवल 43 है, पिछले साल 139 जुलाई में थी इस वर्ष मात्र 17 है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चिकित्सा के लिए भर्ती हुए उनका समुचित उपचार किया गया, रोगों के प्रभाव को कम किया गया और उपचार भी ठीक ढंग से किया गया।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होकर प्रश्न पूछने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत हो गया है, चालीस मिनट से ऊपर इस प्रश्न में हो गया है। मैं अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। नत्थी ख तारांकित प्रश्न संख्या-1।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम शासन के उत्तर से संतुष्ट नहीं है इसलिए सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

(अनुपूरक उत्तरों से असन्तुष्ट होकर श्री जगदम्बिका पाल और प्रमोद कुमार ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह क्यों नाराज होकर चले गये ?

श्री अध्यक्ष-

हम स्वयं भी नहीं समझ पाये हैं। आप ही पूछवा लीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं और मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने साथियों का ख्याल रखूं। आप सबके संरक्षक हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पता लगायें कि क्यों चले गये ? यह मालूम हम लोगों को होना चाहिए कि आखिर क्या कष्ट इन्हें हुआ और क्या बात हुई ? माननीय पाल जी तो आपके मित्र भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह हमारे पड़ोसी जिले के हैं।

आप किसी को लॉबी में भेज कर पुछवा लीजिए कि वह सदन छोड़कर क्यों चले गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वह तो आपके मित्र हैं, आप ही पुछवा लीजिए कि वह सदन छोड़कर क्यों चले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मेरे मित्र क्या, मेरे जिले के हैं, पड़ोसी हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन में पुनः वापस आ गये)

श्री प्रमोद कुमार-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानना चाहते हैं कि हम लोग वाकआउट करके क्यों चले गये थे ? तो मैं आपके माध्यम से उन्हें यह जानकारी दे दूं कि सरकार के बयान से हम लोग सहमत नहीं हैं वहां दवायें उपलब्ध नहीं है वहां पर इन्सेफ्लाटिस से लोग मर रहे हैं, सरकार उपचार दे, इस कारण से हम लोग वाकआउट कर गये थे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह श्रेय भी प्रमोद कुमार जी ने ही ले लिया, उन्हें खामोशी से ले गये और अब यहां पर आकर पूरी बात कह दी। रिकार्ड पर प्रमोद कुमार जी आये, क्यों हुआ यह ?

श्री प्रमोद कुमार-

पिछले 25 साल से हम आजम साहब साथ हैं, बेचारे अम्बिका चौधरी जी की सांस फूल गयी जवाब देते-देते, मेहनत से जवाब दिये उनको क्रेडिट न मिले और आजम साहब ने जड़ दिया तो उनकी देखा-देखी में मैंने भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब बात समाप्त करें, अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-01 ले रहा हूं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों द्वारा लिये गये कर्ज एवं उस पर ब्याज को माफ किये जाने की मांग

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किसानों द्वारा लिये गये कर्ज को चुकाने में असमर्थ किसानों को राहत पहुंचाने हेतु उनके द्वारा लिये गये कर्ज को माफ करने तथा कर्ज पर ब्याज माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

किसानों को ऋण, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है जिसे माफ करने तथा कर्ज पर ब्याज को माफ करने का अधिकार प्रदेश शासन में निहित नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है, लेकिन वर्तमान सरकार जो कृषकों का शुभ चिन्तक होने का दम्भ भरती है, उससे ऐसे उत्तर की अपेक्षा मुझे नहीं थी, जहां प्रदेश के अन्दर सूखा है, खाद, बीज, पानी उपलब्ध नहीं है, कीमतें बहुत बढ़ी हैं, बिजली नहीं है, उस स्थिति में मेरा यह प्रश्न था कि जो छोटे कृषक हैं अथवा जो सीमान्त कृषक हैं वह कर्ज से दबे हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर उन्होंने कर्ज लिया और कर्ज न चुकाने की स्थिति में बेकारी, बेरोजगारी और भुखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर ऐसे सैकड़ों प्रकरण बताये जा सकते हैं कि इतने लोग इन परिस्थितियों में आत्महत्या करने को विवश हुए और उस स्थिति में यह एक तकनीकी उत्तर दे देना यह मुझे भी मालूम है कि दशा निर्देश रिजर्व बैंक का होता है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अगर वह कृषकों के प्रति संवेदनशील हैं उनकी परिस्थितियों से हमदर्दी रखते हैं तो क्या ऐसे जो सीमान्त कृषक, छोटे कृषक हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है और कर्ज चुकाने की स्थिति उनकी नहीं है और उस पर जो ब्याज बढ़ता जा रहा है उसको भी चुकाने की स्थिति में वह नहीं है, इस पर कोई सर्वे करायेंगे एक बात, दूसरी बात यह है उनके कर्जों को और कर्ज पर जो ब्याज बनता है उसको माफ करने के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति करके उन कृषकों का कर्जा माफ करने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने प्रकारान्तर से टिप्पणी ज्यादा की है और प्रश्न कम पूछे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने किसानों के हित के लिए जो कदम उठाये हैं अपनी स्थापना के दिन से लेकर तीन वर्षों की इस अवधि में, मान्यवर, यह तीन वर्ष ऐसे हैं कि इन तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में इतने कदम उठाये गये हैं जितने कदम पिछले

50 वर्षों और उससे ज्यादा की अवधि में सरकारों ने मिलकर नहीं उठाये हैं। जितने इन तीन वर्षों में उठाये गये हैं। मान्यवर, लाभकारी मूल्य के लिए जहां तक बात है 400 रुपये कुन्टल गेहूं के जो भाव की बात थी, आज 700 रुपये कुन्टल भाव में भी इस साल किसानों ने नहीं बेचा है। जो गन्ने का मूल्य 58 रुपये से लेकर 74 रुपये तक था उसे सिर्फ 112 रुपये तक बढ़ाने का ही काम नहीं किया गया बल्कि व्यवहारिक रूप से 125 और 130 रुपये प्रति कुन्तल तक इन किसानों को मूल्य दिलाने का काम किया गया है। साढ़े चार हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। जिस किसी भी सरकार का वह बकाया था मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन वह आज सिर झुका कर इस बात को सुन रहे हैं। जिन लोगों का पाप था किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान हम लोगों ने किया है। मान्यवर, पिछली बार किसानों के हित में कृषक दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी। मान्यवर, किसानों की जो मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई पुरसाहाल नहीं था। इस सरकार ने उसे एक लाख रुपये की सहायता पहुंचाने का काम इस रूप में किया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह प्रश्न के संदर्भ में ही उत्तर है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के समय से लेकर के वर्ष 2006 के 24 अगस्त तक श्रीमन् एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, कई बार प्रदेश में अकाल पड़ा है, हमने सूखा राहत देने का काम किया। आपदा राहत में किसानों को मदद पहुंचाने का काम किया।

मान्यवर, चूंकि आप विद्वान सदस्य हैं, मैं टक्निकल उत्तर नहीं दे रहा हूं। आप संविधान का अनुच्छेद 246 देखने का कष्ट करें। इसमें साफ वर्णित है कि कौन सा विषय संघीय सूची में होगा, कौन सा विषय राज्य सूची में होगा और कौन सा विषय समवर्ती सूची में होगा। आर्टिकल 246 में सातवां शिड्यूल है उसको देख लीजिये उसके क्रम संख्या-45 पर बैंकिंग शब्द आया है यह केन्द्र की सूची में है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

यह तो मैंने मान लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बैंकिंग वहां की सूची में है। इसलिए जो प्रश्न है वह प्रश्न उनसे सम्बन्धित था। वर्ष 1989 में जब इस सूबे में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो केन्द्र में भी वही सरकार थी जो हमारी सरकार थी। चूंकि इसमें केन्द्र ही निर्णय ले सकता है राज्य सरकार नहीं कर सकती है, इसलिए वहां एक स्कीम लाकर के ग्रामीण कृषि राहत योजना के अन्तर्गत कृषि ऋण के सम्बन्ध में 10 हजार रुपये का ऋण माफ करने की योजना चलायी गयी। मान्यवर, प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि केन्द्र में ऐसी सरकारें रही जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं।

मान्यवर, जिनकी सरकार आज है दिल्ली में, मैं उनसे मांग करता हूं कि उन योजनाओं को दुबारा लाने का काम करें जो हमारा पार्ट है वह हम पूरी तरह से करेंगे। मान्यवर, संविधान की बाध्यता नहीं होती तो किसानों के मामले में अपनी सीमा में रहकर हमारी सरकार ने जितने कदम उठाये हैं उससे ज्यादा कदम उठाते। मान्यवर, इस सूबे के माननीय मुख्य मंत्री सदैव किसानों के हित में चिन्तित रहते हैं रोज चिन्ता करते हैं। जितने अभी कदम उठाये गये हैं, प्रत्येक दिन वह कदम और बढ़ेंगे यह मान्यवर, पूरा प्रदेश देखेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने किसानों के हित में काफी कदम उठाये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जो मैंने पूछा है उसका उत्तर दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

लाल जी वर्मा जी खड़े हैं, उन्हें पूछ लेने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

सुसंगत उत्तर तो दिलवा दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उन्होंने जवाब दिया कि किसानों का कर्ज बैंकों से दिया जाता है इसलिए ऋण माफ नहीं किया जा सकता, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उनके ऊपर ब्याज है क्या उस ब्याज के समतुल्य प्रदेश सरकार अनुदान देकर उन बैंकों में जमा कराने की व्यवस्था करेगी ? दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गेहूं का मूल्य 400 रुपये था आज बढ़कर 700 रुपया हो गया तो यह उत्तर प्रदेश में 700 रुपया है या पूरे देश में 700 रुपया है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गेहूं का मूल्य है, हम इसकी जानकारी मंगवा लेंगे और लाल जी वर्मा जी को भिजवा देंगे। दूसरा जो प्रश्न पूछा है मान्यवर, संविधान की बाध्यता है, बैंकिंग में खाली ऋण देना नहीं है, बैंकिंग का जो मामला है यह यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चूंकि उनके कर्ज के कारण भुगतान नहीं हो पाया है इसलिए क्या सरकार ब्याज के बराबर राहत कोष से अनुदान की व्यवस्था करेगी, बजट पास करके अनुदान देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं संविधान के क्षेत्र विभाजन की, कार्य विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रश्न है यह केवल बैंकों से सम्बन्धित नहीं है इस प्रश्न में कहीं बैंक का जिक्र भी नहीं है। इसमें लिखा है कि प्रदेश में किसानों द्वारा लिये गये कर्ज को चुकाने में असमर्थ किसानों को राहत पहुंचाने हेतु उनके द्वारा लिये गये कर्ज को माफ करने तथा कर्ज पर ब्याज माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यह खाली बैंकों से कर्ज नहीं लिया गया है। 90 प्रतिशत कर्ज सोसाइटियों से है, समितियों से है बैंकों से नहीं है। जो गन्ना समिति है उससे खाद लेते हैं, बीज लेते हैं उसका बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए कृपा करके संविधान के अनुच्छेद का दुबारा उल्लेख न करते हुए क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठायेगी और जो कर्ज बैंकों से न लेकर प्रदेश सोसाइटियों, गन्ना समितियों से लिया गया है उसको माफ करने में, उसकी प्रतिपूर्ति करने में कोई भूमिका अदा करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

सोसाइटी वगैरह तो कर्ज बैंक से लेकर ही देती हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पैसा सर्कुलेशन में रहता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश को कोई वित्तीय संकट है नहीं, तो क्या अनुदान देकर किसानों के ऋण को चुकता करने का काम किया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

अनुदान जो आप देंगे, कर्जा पर जो ब्याज है, उसका अनुदान बहुत थोड़ा आयेगा, उसको ही इतनी मदद कर दें। उस पर मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने बीमा कराया किसानों की खेती का, एक भी इंश्योरेंस का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। हम तो थोड़ी सी राहत की बात कर रहे हैं तो इस पर मंत्री जी आप बता दें कि हम देंगे किसानों के पक्ष में। थोड़ा सा अनुदान आप दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब इनका उत्तर आ गया।

श्री सुखदेव राजभर-

दे दें मान्यवर, थोड़ा हम लोग भी दे देंगे। पहले आप तो आगे बढ़िये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे उत्तर देने दें। मैं प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह किसान विरोधी सरकार है, हम लोग इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं। (अनुपूरक उत्तरों से असन्तुष्ट होकर श्री सुखदेव राजभर के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये)

(प्रश्न संख्या-2 के प्रश्नकर्ता डॉ0 अजय कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर या तो आप प्रश्न प्रहर समाप्त करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये माननीय चौधरी साहब, प्रश्न का उत्तर देना मंत्री का काम है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, हम प्रश्न का सुसंगत उत्तर मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमों में बहुत से दूसरे प्रविधान हैं, उसका भी प्रयोग करिये।

श्री लाल जी टण्डन-

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले 2 महीने में कर्ज और भुखमरी से बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और रुहेलखण्ड में 50 किसानों की मौत हो चुकी है ?

(भारतीय जनता पार्टी सदस्यों की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोकाटाकी-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिये। माननीय आर्य जी, आप भी शान्त रहिये। माननीय टण्डन जी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, क्या मेरा प्रश्न पूछना भी उचित नहीं है, आखिर क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, यह क्या कर रहे हैं ? यह अच्छी बात नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल कुछ पूछ रहे हैं, उन्हें पूछने दीजिये, आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैंने पूछा कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 2 महीने में 50 व्यक्तियों की कर्ज और भुखमरी के कारण बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड, और पूर्वांचल में मृत्यु हो चुकी है। अब इसका कोई उत्तर है कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

है मान्यवर, बिल्कुल उत्तर है यह सूचना बिल्कुल असत्य है, निराधार है, भ्रामक है, सरकार को बदनाम करने वाली है और मनगढ़न्त है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, ऐसे कैसे हो जायेगा ? मैं पूरी सूची दे रहा हूं।

(पुनः सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, माननीय नेता विरोधी दल, आपने पूछा कि क्या सरकार को जानकारी है तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि जानकारी नहीं है। अगर आपको गलत लगता है तो उसके लिये अलग से व्यवस्था है। आप इसके लिये अलग से विशेषाधिकार दे सकते हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की ओर से नारेबाजी-व्यवधान)

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उन्होंने तो यह कहा कि यह असत्य है, निराधार है, उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपने मुझे समय नहीं दिया, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं, जितने प्रश्न पूछे गये हैं, प्रत्येक का सम्पूर्ण संतोषप्रद उत्तर दिया गया है और इस तरह बगैर किसी कारण के अगर बहिष्कार करने की और फिर बाद में आकर बताने कभी जल्दी बताने की, यह मान्यवर, कल से बहिष्क्रर का ऐसा रिवाज शुरू हो गया है कि बगैर कारण बताये इस सदन से बहिष्कार कर गये और अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हुए चले गये कि हमें समय नहीं दिया। राजनीतिक सवाल तो उनके सामने था नहीं कि सरकार पर आक्षेप लगाते और मान्यवर, पीठ पर आक्षेप लगा करके कि समय नहीं दिया और बहिष्कार कर गये। मान्यवर, एक सदस्य पीछे-पीछे जाता है और उनके नेता उनके पीछे-पीछे मजबूर हो करके जाते हैं। उसी तरह से मान्यवर, आज दूसरा उदाहरण है, बिना कारण के बहिष्कार करना यह साबित करता है कि विपक्ष के पास न तो कोई आधार है और न ही कोई मुद्दा है, न संसदीय मर्यादा है और न ही कोई नैतिकता है। पूरे प्रदेश में सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जो कार्य किये हैं, यह लोग उससे हतोत्साहित हैं, इनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है, सरकार द्वारा सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के बाद यह स्थिति है इनके पास। सचमुच मान्यवर, यहां से जाने का रिवाज ही नहीं, एक दिन आयेगा जब इनकी संख्या अतिन्यून हो जाएगी इसी सदन में। इससे साबित होता है कि आगे आने वाले दिनों में वह स्वयं अतिन्यून हो जायेंगे।

चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2005-2006 में गन्ना मूल्य के भुगतान की जानकारी

*2-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पेराई सत्र 2005-2006 में प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान अभी भी किया जाना शेष है ? यदि हां, तो सहकारी, निगम व निजी चीनी मिलों पर कितने गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है ? बकाया धनराशि का भुगतान कृषकों को कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वामी ओइमवेश)-

जी नहीं। पेराई सत्र 2005-2006 के समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान सभी मिलों द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछने से पहले एक बात रखना चाहता हूं कि प्रदेश की अनेक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति प्रोत्साहन स्वरूप बोनस का भुगतान किया गया है लेकिन अभी तक सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा गन्ना बोनस का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में 03 मार्च, 2006 का शासनादेश भी मेरे पास है और शासनादेश हुए पांच माह बीतने के बाद भी एक मात्र मेरे क्षेत्र की रमाला सहकारी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है अन्य सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा बोनस का भुगतान अवशेष है। मैं सहकारी चीनी मिलों द्वारा बोनस का भुगतान किये जाने की मांग करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में सभी मिलों द्वारा कुल कितना गन्ना क्रय किया गया और कुल कितने करोड़ रुपये कर भुगतान किया गया है ? और क्या इस भुगतान में बोनस की राशि भी शामिल है ? यदि नहीं, तो किन-किन मिलों द्वारा गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि का कितना भुगतान किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

एक ही बार में न पूछिये मंत्री जी को एक-एक सवाल का जवाब देने दीजिए। जल्दी सवाल कीजिए, जिससे कि और प्रश्न आ जाएं।

स्वामी ओइमवेश-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना भुगतान किया जा चुका है, तो मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2005-2006 हेतु निर्धारित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर से प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर कुल देय रुपये 6,899.78 करोड़ गन्ना मूल्य के सापेक्ष दिनांक 30-06-2006 तक समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

डा0 अजय कुमार-

दूसरा सवाल शासनादेश के बावजूद भी सहकारी मिलों द्वारा बोनस भुगतान में हुई देरी के लिए क्या प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड दोषी है, यदि दोषी है तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी और सहकारी मिलों द्वारा 13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन स्वरूप बोनस का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ?

श्री स्वामी ओइमवेश-

जो आदेश जारी हुआ था उस पर गम्भीरता से सरकार विचार कर रही है और मेरी मानसिकता है कि वह भुगतान होना चाहिए। हम इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

शासनादेश, जो आपका ही आदेश है उस पर क्या विचार किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मेरा प्रश्न यह है कि पिछले साल माननीय मंत्री जी के अपनी विधान सभा क्षेत्र की मिल नॉन-पेमेन्ट की स्थिति में बंद हो गयी थी क्या इस साल भी ऐसी ही स्थिति आयेगी ? यह जो 13 रुपये का शासनादेश किया गया, माननीय मंत्री जी ने कल भी कहा था कि हम विचार कर रहे हैं। यह जो 10 लाख क्विंटल गन्ना अधिक पेरा गया है उस पर 13 रुपये प्रति क्विंटल चांदपुर चीनी मिल, बिजनौर चीनी मिल और नजीबाबाद चीनी मिल का देना है। क्या कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है और यह विचार कब तक हो जायेगा ? अगला सत्र शुरु होने में अब दो महीने रह गये हैं।

श्री स्वामी ओइमवेश-

माननीय सदस्य ने कहा है कि कल भी यही उत्तर दिया था कि गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, मैंने कल गम्भीरता से कहा था, आज बहुत गम्भीरता से कहा है।

कुवंर भारतेन्द्र सिंह-

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने नेता सदन से आपकी सिफारिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके ही यहां का रह गया है, आपकी मांग वाजिब है। इस सिलसिले में मैंने मा0 नेता सदन से निवेदन किया है। आपको आश्वासन दिया था, उस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। सम्बन्धित मंत्री जी ने भी कल भी उत्तर दिया आज बहुत ज्यादा संजीदगी से उत्तर दिया है। तो मैं भी संजीदा हूं, मंत्री जी भी संजीदा हैं और मुख्य मंत्री जी भी संजीदा हैं। तो मुख्य मंत्री जी का निर्देश हो गया है, इसमें कार्यवाही करायेंगें।

(डा0 सुशील चौधरी के खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मुझे बुला लिया, अगर अनुमति दें तो अनुपूरक पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष-

बताइये, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के गन्ना किसानों का मूल्य पेराई सत्र 2005-2006 का भुगतान हुआ, निश्चित तौर से सरकार के द्वारा अच्छा काम है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी जैसे मा0 मंत्री जी ने कहा कि शत प्रतिशत

भुगतान कर दिये गये हैं, लेकिन वर्ष 2005-2006 का मुण्डेरवा और खलीलाबाद चीनी मिल के किसानों का भुगतान अभी भी बकाया है, क्या इसकी जांच करायेंगें ? आज यह कह देना कि शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है, मेरी निजी जानकारी है कि 2005-2006 के कुछ चीनी मिलों का गन्ना मूल्य अभी भी बकाया है, वह बकाया क्यों है ? मिल ने नहीं दिया या केन-यूनियन ने नहीं दिया है, यह भी माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि क्या मिलों ने इसका भुगतान कर दिया है और केन यूनियन के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है ? मैं स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि इन चीनी मिलों का भुगतान कब तक कर देंगें ?

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और माननीय जगदम्बिका पाल भी जानते हैं कि खलीलाबाद और मुंडेरवा की समस्या क्यों है ? इस वर्ष भुगतान 101 प्रतिशत है। मुंडेरवा का मामला दूसरा है और खलीलाबाद का दूसरा है। हमने यहां तक किया है कि वहां के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार भी करवाया है। माननीया प्रेमलता कटियार हैं या नहीं, इनको मैंने दिल्ली से टेलीफोन किया था कि आप पचड़े में मत पड़िये। खलीलाबाद चीनी मिल मालिक के पक्ष में, न जाने क्यों इतने लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं। यह बताओं क्यों हो जाते हैं ? तब प्रेमलता कटियार जी ने कहा जो आपने मुझे बताया है उससे भी ज्यादा गइराई में आप पहुंच गये। उस समय पत्रावली हाथों हाथ गयी थी, लोक सभा के अन्दर हमने सवाल उठाया था और हमने व्यक्तिगत रूप से डेलीगेशन जसवंत सिंह जी के पास भेजा था। लेकिन उस वक्त एक मंत्री थे जो उनके पक्ष में हो गये थे लेकिन जब लोक सभा का माहौल देखा, अध्यक्ष महोदय तो वह उनके पक्ष में नहीं रहे। तब जाकर उसको गिरफ्तार कराया और यह सरकार बनते फिर मैंने गिरफ्तार करा लिया। डी0एम0 उसके माफिक हो जाते थे, कोई दंगा लगवा दिया उसमें पैसा ले लिया। यह आपका जो क्लब है, क्लब का मेंबर वह है। ऐसा फैला हुआ है वह व्यक्ति, उसकी वजह से खलीलाबाद में यह स्थिति हुई। मुंडरेवा का भी ऐसा ही सवाल है। उसको कैसे हल किया जाय ? आपने संज्ञान में ला दिया है हम उसको देख करके, बैठक करके प्रयास करेंगे कि वह कैसे किया जाय ?

(प्रश्नों का समय समाप्त)

प्रदेश के किसानों का सत्र 2004-2005 के बकाये के भुगतान की जानकारी

*3-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के किसानों का सत्र 2004-2005 के गन्ना मूल्य के बकाये का चीनी मिलों द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

नोटः-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेराई सत्र 2004-05 में अगौता चीनी मिल को छोड़कर प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

अगौता चीनी मिल का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में गन्ना मूल्य का निर्धारण एवं अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

*4-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 2005-2006 में प्रदेश सरकार द्वारा कितना गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया था तथा निर्धारित दर से 30 अप्रैल, 2006 तक कितना गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है तथा कितना अवशेष है ? अवशेष गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? प्रदेश में पेराई सत्र 2002-03, 2003-04, 2004-05 में किस निर्धारित दर से गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है ? क्या इन पेराई सत्रों का गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश सरकार ने विगत पेराई सत्र 2005-06 में अगैती प्रजाति हेतु रु0 120/- सामान्य प्रजाति हेतु रु0 115/- तथा अनुपयुक्त प्रजाति हेतु रु0 112.50 प्रति कुन्टल राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया था। दिनांक 30-04-2006 तक प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा रु0 6708.53 करोड़ का भुगतान किया गया था तथा रु0 1.43 करोड़ अवशेष था।

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा दिनांक 30-06-2006 तक समस्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

पेराई सत्र 2002-03, 2003-04 हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनुपयुक्त प्रजाति हेतु रु0 92.50 सामान्य प्रजाति हेतु रु0 95.00 तथा अगैती प्रजाति हेतु रु0 100.00 प्रति कुन्टल की दर निर्धारित की गयी है। पेराई सत्र 2004-05 हेतु अनुपयुक्त प्रजाति हेतु रु0 104.50 सामान्य प्रजाति हेतु रु0 107.00 तथा अगैती प्रजाति हेतु रु0 112.00 प्रति कुन्टल की दर से प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 2002-03 का खलीलाबाद चीनी मिल पर रु0 0.77 करोड़ तथा अगौता, मझावली, न्योली, खलीलाबाद, सरदारनगर एवं कप्तानगंज चीनी मिलों पर कुल रु0 31.19 करोड़ बकाया है।

पेराई सत्र 2003-04 का प्रदेश की मात्र दो चीनी मिलों सरदारनगर पर रु0 0.69 करोड़ तथा कप्तानगंज पर रु0 4.50 करोड़ बकाया है।

पेराई सत्र 2004-05 का मात्र अगौता चीनी मिल पर रु0 3.37 करोड़ बकाया है।

बकायेदार चीनी मिलों के प्रकरण बी0आई0एफ0आर0 एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने के कारण गन्ना मूल्य बकाया चल रहा है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुजफ्फर नगर में बघरा बस स्टेशन से नसीरपुर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत की मांग

1-श्री परमजीत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले पानीपत खटीमा मार्ग के बीच में कस्बा बघरा बस स्टेशन से सैदपुरा होते हुए अमीरनगर लदुवा नसीरपुर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा मार्ग पर स्थित बघरा बस स्टेशन से सैदपुर होते हुए अमीरनगर लडवा नसीरपुर जाने वाले मार्ग का सैदपुरा आबादी भाग में मार्ग पर लगा हुआ खड़ंजा क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त भाग की मरम्मत करा दी गयी है। मार्ग के शेष भाग की दशा संतोषजनक है तथा आवागमन सुचारू रुप से हो रहा है।

बघरा बस स्टेशन से सैदपुरा आबादी भाग की विशेष मरम्मत का कार्य माह जून, 2006 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा के गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य के भुगतान की जानकारी

2-श्री बादशाह सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई-खड्डा (कुशीनगर) के गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य "दी देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक शाखा खड्डा" से भुगतान न किये जाने विषयक पत्र पूर्व सदस्य, विधान सभा दीपलाल भारती द्वारा दि0 21-01-06 को जिलाधिकारी, कुशीनगर को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शिकायत संज्ञान में आने पर प्रशासनिक स्तर से सामान्य प्रबन्धक उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा कुशीनगर को गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य "दी देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक शाखा खड्डा" के नाम चेक न देने तथा जनहित में खड्डा स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक में खाता खुलवा कर भुगतान किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा स्थानीय कृषकों के अनुरोध पर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का भी एकाउन्ट पेयी चेक दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है।

जनपद एटा के ब्लाक सोरों में स्वीकृत उपमण्डी के निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

3-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के ब्लाक सोरों में स्वीकृत उपमण्डी का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/41003 दिनांकित 22-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में न्यौली शुगर फैक्ट्री को मिलाने वाली नवाबगंज वाया याकूतगंज मार्ग के निर्माण की जानकारी

4-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में न्यौली शुगर फैक्ट्री को मिलाने वाली नवाबगंज-न्यौली वाया याकूतगंज मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/412002 दिनांक 22-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग का स्वामित्व लो0 नि0 वि0 का न होकर गन्ना विभाग का होने के कारण कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में सलेमपुर गांव से शिवाली मार्ग की मरम्मत की मांग

5-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर के अन्तर्गत सलेमपुर गांव से शिवाली मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उस मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में आटा-चुर्खी मार्ग के मरम्मत की मांग

6-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड महेवा जनपद-जालौन में आटा-चुर्खी मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा यातायात चालू है।

मार्ग की कुल लम्बाई 14 कि0मी0 के सापेक्ष कि0मी0 10 को छोड़कर शेष 13 कि0मी0 में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। कि0मी0 10 की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में नेशनल हाइवे 25 से ग्राम हरकूपुर सम्पर्क मार्ग व बन्धा के निर्माण की मांग

7-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी जनपद-जालौन में नेशनल हाइवे 25 से ग्राम हरकूपुर सम्पर्क मार्ग का 100 मी0 बन्धा मय डामर रोड एक वर्ष पूर्व बरसात में बह गया था जिससे आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्धे का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ, परन्तु यातायात कच्चे बाईपास से चालू है।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद एटा के गढ़का रेलवे स्टेशन से नगर पंचायत मोहनपुर तक सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

8-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के अन्तर्गत गढ़का रेलवे स्टेशन से नगर पंचायत मोहनपुर की सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/412001 दिनांकित 22-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त अपेक्षित आगणन गठन की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ढकवा-पट्टी सदहार एवं ढकवा पट्टी मार्ग के पी0 सी0 एवं पटरी कार्य के आगणन की स्वीकृति की जानकारी

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ढ़कवा-पट्टी-सदहार में अमरगढ़ राजाबाजार मार्ग तक पी0 सी0 कार्य एवं पटरी निर्माण कार्य हेतु 4.90 किमी0 एवं ढकवा-पट्टी मार्ग पर सेतापुर से राजाबाजार पट्टी मार्ग तक पी0 सी0 एवं पटरी कार्य हेतु 4.00 किमी0 का आगणन शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आगणन कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के तेरह मील से प्रतापगढ़ सीमा तक नहर मार्ग एवं अन्य मार्गों के आगणन की स्वीकृति की जानकारी

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के तेरह मील से देहरा डीगर होते हुये प्रतापगढ़ सीमा तक नहर मार्ग सहित अन्य चार मार्गों को स्वीकृत किये जाने हेतु आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के पत्रांक संख्या-1400 नि0/139-01 नि0/06 दिनांक 09-03-06 द्वारा विशेष सचिव, लोक निर्माण-11 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

परियोजनाओं की स्वीकृति उनकी तुलनात्मक उपयोगिता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्प्रति प्रकरण में स्वीकृति हेतु विचार करने का अवसर नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के वर्ष 2005-2006 तक स्वीकृत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के कौन-कौन से मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2005-06 तक स्वीकृत हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के पत्रांक 1066 कैम्प/मु0 अभि0 (मु0-1)/139-01 नि0/06 दिनांक

13-03-06 द्वारा प्रस्तावित देलूपुर-रानीगंज-पट्टी कोहडौर मार्ग एम0 डी0 आर0-164 ई0 के किमी0 29 से 61 तक एवं अकबरपुर-कादीपुर चांदा पट्टी मार्ग एम0 डी0 आर0-113 के किमी0 49 से 65.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक निम्नलिखित चार मार्ग स्वीकृत हुए हैं :--

1-बाबूगंज चौराहा से किठावर होते हुए गांधी नगर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अ0जि0मा0) लम्बाई 18.00 किमी0।

2-लीलापुर साहबगंज तेजगढ़ चन्द्रिकन मार्ग कि0मी0 1 से 14 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अ0जि0मा0) लम्बाई 13.50 किमी0।

3-सगरा सुंदरपुर पहाड़पुर पूरबपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अ0जि0मा0) लम्बाई 10.90 किमी0।

4-सगरा सुंदरपुर बाबूगंज डेरवा मार्ग किमी0-1 से 14 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अ0जि0मा0) लम्बाई 14.00 किमी0।

जी नहीं।

सीमिति वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत मार्ग/पुल को पूर्ण कराने की मांग

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग-14 द्वारा दिनांक 16-05-06 को जारी शासनादेश 1647/23-14-05 के क्रम में जनपद-प्रतापगढ़ के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत कौन-कौन से मार्ग/पुल अपूर्ण हैं ? उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ हेतु स्वीकृत 16 कार्य तथा प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ के लिये स्वीकृत 07 कार्य अर्थात् कुल 23 कार्य अपूर्ण हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना उनकी तुलनात्मक उपयोगिता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 113-119 पर)

कानपुर के राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, सूटरगंज में वर्ष 1996 से लोक सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्रोफेसर/प्रवक्ताओं को स्थायी किये जाने की मांग

13-श्री बादशाह सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, सूटरगंज, कानपुर में वर्ष 1996 से लोक सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्रोफेसर/प्रवक्ताओं को स्थाई न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें स्थाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

प्रश्नगत शिक्षकों के स्थायीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम बहेलिया की खतौनी संख्या 1383 में कतिपय गाटा संख्या राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी

14-श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ तहसील-मलिहाबाद के ग्राम बहेलिया की खतौनी 1383 फसली में खाता खतौनी संख्या-130 में अंकित गाटा संख्या-56-स, 162-स, 200, 289 जलाशय तथा भूमि गाटा संख्या-100 स, 43, 44 ग्राम समाज के रूप में अंकित भूमि को राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके कतिपय व्यक्तियों के नाम अंकित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये प्रश्नगत भूमि को पूर्व स्थिति में परिवर्तित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्न में उल्लिखित भूखण्ड संख्या-200 क्षेत्रफल 0-18-01 बीघा जलाशय के रूप में तथा भूखण्ड संख्या-43 क्षेत्रफल 0-10-12 बीघा व भूखण्ड संख्या-44 क्षेत्रफल 0-6-15 बीघा बंजर के रूप में खतौनी वर्ष 1383 फसली में अंकित है। इन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर कतिपय व्यक्तियों का नाम अंकित हुआ है।

भूखण्ड संख्या-56-स यथावत जलाशय/ग्राम समाज मार्ग के रूप में अंकित हैं

भूखण्ड संख्या-162-स एवं 289 जलाशय नहीं है अपितु कुछ व्यक्तियों के नाम अभिलेखों में दर्ज है।

भूखण्ड संख्या-100-स ग्राम समाज की भूमि नहीं है अपितु अन्य व्यक्तियों के नाम अभिलेखों में दर्ज है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नगरा गड़वार से चिलकहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

15-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया में नगरा गड़वार से कुरेजी होते चिलकहर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में कैण्ट रोड पर निर्मित पुल के नीचे दोनों तरफ सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

16-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पुराना किला (बाबू बनारसी दास नगर) में कैण्ट रोड पर नव निर्मित पुल के नीचे दोनों तरफ के सम्पर्क मार्गों का निर्माण नयी तकनीक से कर दिया गया है परन्तु पुल के नीचे के हिस्सों में सड़क का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है ? क्या उक्त अधूरे सड़क निर्माण कार्य को सरकार पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। कथित मार्ग का कोई भाग अधूरा/अनिर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में ग्राम सभा दोघ के कतिपय चकरोड से कब्जा हटाये जाने की मांग

17-राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा दोघ के चकरोड संख्या 281 व 315 पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके रास्ता बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इसकी शिकायत होने पर फरवरी/मार्च, 2006 में उक्त चकरोड संख्या 281 का कब्जा तहसीलदार बिल्थरा रोड की देखरेख में हटा दिया गया था, जिस पर पुनः कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

खरीफ की फसल कटने के उपरान्त उक्त चकरोड से अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम तरसौर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

18-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड कुठौंद जनपद-जालौन में मदारीपुर-कालपी मार्ग से ग्राम तरसौर का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार तरसौरं सम्पर्क मार्ग की मरम्मत लेपन स्तर तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चालू है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में त्वरित विकास योजना में सितम्बर, 2003 से अब तक मार्ग एवं पुल निर्माण के प्रस्ताव/आगणन एवं स्वीकृति

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 03 से अब तक मार्ग निर्माण एवं पुल निर्माण के कौन-कौन से प्रस्ताव/आगणन लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुये हैं ? उसमें से अब तक कौन-कौन प्रस्ताव आगणन स्वीकृत हुये हैं ? यदि नहीं, तो प्राप्त आगणन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिया **जायेगा** ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 03 मार्गों (26.60 कि0मी0, लागत रु0 358.97 लाख) के निम्नलिखित आगणन प्राप्त हुए हैं :--

(1) बीबीपुर-बन्धवा-पटखोली-रूर वाया रमईपुर मार्ग (लम्बाई 16.60 कि0मी0, लागत रु0 231.40 लाख)।

(2) बन्धवा-बीरापुर-सलाहपुर-उसरौली मार्ग (लम्बाई 2.40 कि0मी0, लागत रु0 33.46 लाख)।

(3) नरहरपुर-डुहिया-सराय शंकर-चिगुड़ा-पूरे चन्दी-पारा शंकरपुर मार्ग (लम्बाई 7.60 कि0मी0, लागत रु0 94.11 लाख)।

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रश्नगत अवधि में सेतु निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शासनादेश संख्या-यू0ओ0 374/23-11-05, दिनांक 16-12-2005 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित "बीबीपुर-बन्धवा-भरोखन-सलाहपुर-थनेपुर-गोपापुर-नेवादा-रूर मार्ग" लम्बाई 16.20 कि0मी0 के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु0 207.132 लाख की लागत पर प्रदान करते हुए रु0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सरेखण में उक्त क्रमांक-1 एवं 2 के मार्गों के लगभग 15.40 कि0मी0 लम्बाई का भाग भी सम्मिलित है। इस प्रकार उपरोक्त प्राप्त कुल 26.60 कि0मी0 लम्बाई के 03 मार्गों के आगणनों में से लगभग 15.40 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष मार्गों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्राम बसनवार की श्रीमती गंगाजली की भुखमरी से हुई मृत्यु के फलस्वरूप आर्थिक सहायता की मांग

20-डा0 सुशील चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया ग्राम-बसनवार की श्रीमती गंगाजली (42) वर्ष पत्नी श्री सुरेश वर्मा ने भूख से तड़प-तड़प कर माह जुलाई, 2006 में दम तोड़ दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त मामले की एस0 डी0 एम0 रसड़ा द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या मृतक परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। जिले से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम बसनवार जनपद बलिया की श्रीमती गंगाजली की मृत्यु दिनांक 14-7-06 को लम्बी बीमारी के बाद हुई है, भूख से तड़प कर नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

चूंकि, प्रकरण दैवी आपदा से मृत्यु का नहीं है, अतः भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आपदा राहत निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी सेतु पर फर्म द्वारा मिट्टी के कार्य के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

21-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई प्रथम, लखनऊ का पत्र संख्या 386/बरबर औरंगाबाद सेतु/2006 दिनांक 29-5-2006 जनपद-लखीमपुर

खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी सेतु पर मेसर्स पुनदेव एण्ड सन्स लालबाग, लखनऊ द्वारा कराये गये मिट्टी के कार्य के बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में था, महाप्रबन्धक (मध्य) उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मेसर्स पुवनदेव एण्ड सन्स द्वारा बिना किसी कार्यादेश के कार्य किया गया है। तत्कालीन इकाई प्रभारी द्वारा बिना किसी कार्यादेश/अनुबंध व बिना कार्य की मापी के रु0 1.55 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया है। इस अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच संस्थित की गयी है। जांच आख्या के निष्कर्षों के आधार पर ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

जनपद-अम्बेदकर नगर के तहसील-अकबरपुर में तालाबों के अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

22-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-समन्धा तहसील-अकबरपुर जनपद-अम्बेदकर नगर के तालाब पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के वरिष्ठ सदस्य जोसेफ ने जिलाधिकारी अम्बेदकरनगर को जून, 06 में निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, पत्र जून, 06 का नहीं बल्कि दिनांक 23-05-2006 को प्राप्त हुआ है।

इस ग्राम के तालाब संख्या-341क/0.263 हे0 पर श्री राम उजागर मिश्र द्वारा कृषि कार्य एवं छप्पर रखकर अवैध कब्जा किया गया जिसके विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत वाद संख्या-116/3, अप्रैल, 2006 गांव सभा बनाम राम उजागर न्यायालय तहसीलदार, अकबरपुर पर संस्थित हुआ है जो विचाराधीन है।

न्यायालय के आदेश के उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी इसके अतिरिक्त अवैध का बिजदार श्री राम उजागर मिश्र द्वारा तालाब गाटा संख्या-341क क्षेत्रफल 01 विस्वा पर नया छप्पर रखकर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे पैमाइश कर दिनांक 27-5-2006 को हटवा दिया गया है।

जनपद-बाराबंकी के तहसील-नवाबगंज के ग्राम मिर्जापुर के किसानों को चकबन्दी के उपरान्त नये चकों पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

23-श्री भगेलू राम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मिर्जापुर, पो0 धौराहरा, थाना-कोठी परगना सतरिख तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या किसानों को नये चकों पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें नये चकों पर कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत उप जिलाधिकारी सदर के आदेश को वापस लेने सम्बन्धी जानकारी

24-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 में दी गयी व्यवस्था के विपरीत उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के आदेश संख्या : 69/01-02, दिनांक 06 अगस्त, 2002 निरस्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर विशेष सचिव मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 01-10-2005 को प्रमुख सचिव, राजस्व को आदेश प्रदान किये गये थे ? क्या यह सच है कि उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम की धारा-9 ख की उपधारा-3 तथा धारा-12 की उपधारा-1 वर्तमान में भी लागू/विद्यमान पायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था के विद्यमान के विपरीत किये गये प्रश्नगत आदेश दिनांक 06-08-2002 को वापस लेते हुये विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम काकराबाद परगना तहसील/जिला लखनऊ में चकबन्दी प्रक्रिया के पूर्व तत्कालीन लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की भूमि को अनधिकृत रूप से फर्जी आदेशों के आधार पर स्वयं व अन्य के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में फर्जी अंकन की जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी के न्यायालय आदेश दिनांक 6-8-2002 द्वारा खातेदारों के नाम निरस्त कर पुनः भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी। प्रश्नगत आदेश एक न्यायिक आदेश है। इसे प्रशासनिक स्तर पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी के आदेश संख्या-69/01-02, दिनांक 6-8-2002 के विरुद्ध यह प्रकरण मा0 राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानी वाद के रूप में विचाराधीन है।

राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशों का अनुपालन न किये जाने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

25- श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विशेष सचिव मुख्य मंत्री तथा माननीय राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर उत्तरदायित्व के निर्धारण विषयक प्रश्नकर्ता के

पत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 पर माह जनवरी, 2006 के द्वितीय सप्ताह में प्रमुख सचिव, राजस्व को विशेष सचिव मुख्य मंत्री द्वारा क्या कोई आदेश प्रदान किये गये थे ? क्या सरकार पत्र में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु की समयबद्ध जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश थे।

जी हां। परीक्षणोपरान्त पत्रावली पर मा0 मुख्य मंत्री को वस्तुस्थिति से दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को अवगत कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील हरदोई के ग्राम कमोलिया में खतौनी संख्या-26 में क्षेत्रफल की कमी को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

26- श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद व तहसील हरदोई, परगना गोपामऊ के अन्तर्गत ग्राम-कमोलिया में इन्तखाब खतौनी क्रम संख्या-26 खसरा नम्बर-166 व 339 का क्षेत्रफल क्या है ? क्या वर्ष 1996 की इन्तखाब खतौनी खसरा नम्बर के अनुरूप उक्त क्षेत्रफल में कमी हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1996 की इन्तखाब खतौनी के आधार पर क्षेत्रफल की पूर्व की स्थिति कायम रखने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम कमोलिया परगना गोपामऊ तहसील व जनपद हरदोई के अन्तर्गत गाटा संख्या-166/1.4340 का नया नम्बर 415/0.0500 व 416/1.3840 बना है तथा गाटा संख्या-339/0.2050 का नया नम्बर 726/0.2050 बना है। पुरानी गाटा संख्या व चकबन्दी में नई बनी गाटा संख्याओं के क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील हरदोई के ग्राम कमोलिया में दबंगों द्वारा मेड़ों को तोड़कर चकों में मिलाये जाने की जांच

27-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद व तहसील हरदोई, परगना-गोपामऊ के अन्तर्गत ग्राम-कमोलिया में दबंग व्यक्तियों द्वारा इन्तखाब खतौनी खसरा नम्बर-166 व 339 पर दर्ज बाग/खेत की मेड़ों को तोड़कर अपने-अपने चकों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये भूमि संख्या-166 व 339 का सम्पूर्ण रकबा को मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम ताजपुर में जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों से छुड़ाकर पट्टाधारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

28-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम-ताजपुर (ग्राम सभा-खजोहना) में इन्तखाब खतौनी खसरा नम्बर-736, श्रेणी-5 कृषि योग्य नवीन परती भूमि पर दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम सभा खजोहना, तहसील-सण्डीला के प्रस्ताव दि0 15-04-03 द्वारा तहसीलदार सण्डीला के आदेश/अनुमोदन दिनांक 1-10-03 के अनुसार उक्त भूमि सं0 736 पर लगभग 150 व्यक्तियों के नाम पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से काबिज लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये पट्टाधारकों को कब्जा दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम खजौहना, परगना व तहसील-सण्डीला के प्रस्ताव दिनांक 15-4-2003 व तहसीलदार सण्डीला के आदेश/अनुमोदन दिनांक 01-10-2003 द्वारा गाटा संख्या-736 पर कुल 12 व्यक्तियों को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में पट्टा किया गया है।

उपरोक्त गाटा संख्या-736 पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को बेदखल करके सभी 12 आवंटियों को विधिवत कब्जा दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के ग्राम जीतामऊ के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

30-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि समग्र विकास योजना में चयनित ग्राम जीतामऊ विकास खण्ड महेवा जनपद जालौन का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत लेपन स्तर तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के सफीपुर कोतवाली में दलित श्रीमती सोमवती द्वारा आत्महत्या के उपरान्त आश्रितों को सहायता प्रदान किये जाने की मांग

31-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव सफीपुर कोतवाली परिसर में 24 जनवरी, 2006 को सोमवती दलित ने भुखमरी के कारण आत्महत्या की ? क्या यह सत्य है कि उसके बाद उसके पति खेमराज ने भी आत्महत्या कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के आश्रितों के पालन-पोषण हेतु कोई सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। जिले से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 25-01-2006 को जनपद उन्नाव की कोतवाली सफीपुर के ग्राम परियर में गृह कलह से जहरीला पदार्थ खाकर सोमवती पत्नी खेमराज उर्फ हेमराज द्वारा आत्महत्या की गयी।

जी हां।

मृतक के आश्रितों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की सहायता दी गयी तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड भी दिनांक 29-1-2006 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीरनगर में ग्राम जोगाराजा एवं कलुआपुर के मध्य अधूरे निर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने की मांग

32-श्री रिजवान अहमद खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला-सन्त कबीर नगर में ग्राम-जोगाराजा एवं ग्राम-कलुआपुर के मध्य कठिनइया नदी पर पुल अर्द्धनिर्मित है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के ग्राम मिर्जापुर के चकों की निशानदेही कराकर कब्जा दिलाये जाने की माग

33-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3-253987 दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 जो जनपद बाराबंकी तहसील-नवाबगंज परगना सतरिख पो0-धौरहरा के अन्तर्गत

ग्राम-मिर्जापुर के किसानों के चकों की निशानदेही कराकर उन पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पुनः निशानदेही कराकर कब्जा नियमानुसार दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती मेंहदावल-कैम्पियरगंज-तमकुही राजमार्ग पर ग्राम साड़े के पास सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल के निर्माण की मांग

34-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-मेंहदावल-कैम्पियरगंज-तमकुही राजमार्ग पर ग्राम साड़े के पास सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल वर्षों से बनकर तैयार है जो मात्र एप्रोच रोड के अभाव में पुल प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ? क्या एप्रोच कार्य के पूर्ण करने के लिए धन का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक आवागमन के लिए चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। बस्ती-मेंहदावल- कैम्पियरगंज-तमकुही राजमार्ग पर ग्राम साड़े खुर्द के पास बूड़ी राप्ती नदी सेतु निर्माणाधीन है एवं पहुंच मार्ग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, तहसील कालपी के ग्राम मसगाया में आकाशीय बिजली गिरने से श्रीमती साधना के पति की हुई मृत्यु के फलस्वरूप सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

35-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि साधना निवासी ग्राम मसगाया तहसील कालपी जनपद जालौन के पति शिव बाबा की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से 17-04-06 को हो गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-3-265151 दिनांक 11-5-06 जो बेवा साधना को नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण हेतु सहायता धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्रा हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

मृतक की पत्नी को आपदा राहत निधि से अनुग्रह सहायता रु0 50,000/- तथा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता रु0 50,000/- की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन तहसील कालपी के ग्राम इकौना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

36-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कालपी तहसील जनपद जालौन के ग्राम इकौना के सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पैड सं0-क-201827 दिनांक 23-3-06 जिलाधिकारी, जालौन को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 12 फरवरी, 06 को प्रारम्भ करा दिया गया था, किन्तु वन भूमि विवाद होने के कारण कार्य रुक गया। वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा एवं बस्ती के मध्य कुआनों नदी से अड़वाघाट पर स्वीकृत सेतु निर्माण की मांग

37- श्री राम प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुआनों नदी के जनपद गोण्डा और बस्ती की सीमा पर अड़वाघाट पर पक्का पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तावित स्थल पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की लागत रु0 254.73 लाख अनुमानित है। प्रस्तावित स्थल के 12.00 कि0मी0 अप स्ट्रीम में डुमरियागंज चौकी चन्द्रीय घाट पर 79.40 कि0मी0 लम्बा सेतु निर्मित है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल के ग्राम इब्राहिमपुर के नर्सरी संचालक अतुल कुमार मौर्य को पौधों की आपूर्ति का भुगतान कराने का कथित प्रकरण

38-श्री कौशल किशोर-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ विकास खण्ड-माल के ग्राम-इब्राहिमपुर के नर्सरी संचालक एवं बौद्ध उपासक अतुल कुमार मौर्य द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या-1889/परि0/एस0सी0आर0वाई0 दिनांक 8-9-05 एवं खण्ड विकास अधिकारी, बिलग्राम का पत्र संख्या-1091/दिनांक 10-9-2005 के क्रम में 55 ग्राम सभाओं में कुल 1,10,00 जेट्रोफा के पौधों की आपूर्ति का भुगतान कराने हेतु दिनांक 17-4-05 को जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात से जनपद जालौन के मध्य क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

39-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-25 कानपुर देहात से जनपद जालौन के मध्य भोगनीपुर चौराहा से जोल्हूपुर तक क्षतिग्रस्त हो गया है ? जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। उनके द्वारा मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

सितम्बर, 2006 के अन्त तक मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना सूचित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला उद्यान अधिकारी के जिला स्तरीय पद पर उपलब्ध दो वेतनमान की विसंगतियों को दूर किये जाने की कार्यवाही

40-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में जिला उद्यान अधिकारी के जिला स्तरीय पद पर दो वेतनमान उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या इन दोनों वेतनमान के पदों की शैक्षिक अर्हता, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया आदि समान है ? क्या इन पदों पर कार्यरत अधिकारी पारस्परिक रूप से स्थानान्तरणीय हैं ? यदि हां, तो उक्त जिला स्तरीय पदों को दो वेतनमान में बनाये रखने का क्या

औचित्य है ? क्या सरकार इन पदों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2729/58-1-97-958/89टी0सी0, दिनांक 23-06-1997 द्वारा सकारण समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए इन पदों के वेतनमान उच्चीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया। अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23-06-1997 में वर्णित तथ्यों के आधार पर इन पदों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं पायी गयी। अतः वेतन विसंगति दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ को पौधों की आपूर्ति का भुगतान

41-श्री कौशल किशोर-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित पत्रांक सं0-34/2006 दिनांक 10-3-06, 38/2006 दिनांक 27-3-06 तथा 50/2006 दिनांक 14-4-06 जोकि विकास खंण्ड जेवर तथा दादरी को आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्राप्त दिय हुआ है ? यदि हां, तो क्या फर्म का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा जायेगा ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी हां, भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

1-खण्ड विकास अधिकारी, दादरी ने अपने फैक्स पत्रांक-334/वृक्षारोपण दिनांक 10-7-06 द्वारा सम्बन्धित फर्म को निम्न विवरण के अनुसार भुगतान भेज दिया है :-

ड्राफ्ट संख्या	बैंक का नाम	फर्म का नाम	धनराशि (रु0 में)
0456961033	स्टेट बैंक दादरी	नफीस नर्सरी	45,000.00
0456961034	-तदैव-	-तदैव-	45,000.00
0456961035	-तदैव-	-तदैव-	20,000.00
		योग :	1,10,000.00

2-खण्ड विकास अधिकारी, जेवर ने फैक्स पत्रांक-93/वृक्षारोपण/10-7-06 के द्वारा यह अवगत कराया है कि नफीस नर्सरी को रुपया-1,15,500.00 का भुगतान रजिस्ट्री सं0-182 दिनांक 1-7-06 के द्वारा चेक से भेज दिया गया है तथा खण्ड विकास अधिकारी जेवर ने अपने फैक्स पत्रांक-99/वृक्षारोपण/भुगतान दिनांक 19-7-06 के द्वारा पुनः अवगत कराया गया है कि मेसर्स नफीस नर्सरी को वृक्षारोपण हेतु आपूर्ति किये गये पौधों के बिल का पूर्ण भुगतान पत्रांक-98 दिनांक 17-7-2006 को पंजीकृत पत्र सं0-278 दिनांक 17-7-2006 को चेक द्वारा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि फर्म का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

जनपद बलिया की तहसील सदर के ग्राम सीतापुर की पार्वती देवी के आश्रितों को आर्थिक सहायता का कथित प्रकरण

42-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-6-06 को ग्राम सीताकुण्ड तहसील सदर, जनपद बलिया में पार्वती देवी की मौत भूख से हो गयी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, जिले से प्राप्त सूचनानुसार इनकी मौत बीमारी तथा अधिक उम्र होने के कारण हुई है।

जी नहीं।

चूंकि प्रकरण दैवी आपदा से मृत्यु का नहीं है, अतः भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार आपदा राहत निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 अगस्त, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की वाराणसी कैण्ट अन्तर्गत जिउधीपुर में स्थापित शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री विद्यासागर गुप्त की पुराना किला (सदर) लखनऊ में ओवरब्रिज का उद्घाटन एवं उसके ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट को चालू करवाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कार्य में कोई प्रगति न होने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लाक भावरखेड़ा के कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर स्थित कप्तानगंज-हाटा मार्ग का निर्माण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह मुख्यालय पर अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की लखनऊ के महोना क्षेत्रान्तर्गत 3 राजकीय हायर सेकेण्डरी कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सदल प्रसाद की जनपद गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत गौरखास चाड़ी केशवापाकर जर्जर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की मुरादाबाद कांठ क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक भीकनपुर से

ग्राम नन्हेड़ा अल्यारपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र बरवा राजा पाकड़, जनपद कुशीनगर में साढ़े बारह एम0वी0ए0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 20 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर (कटया) के पास गोधनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद के अयोध्या क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री योगेन्द्र कुमार की जनपद हमीरपुर में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये गए चेक डैमों में मानक के अनुरूप मैटीरियल का प्रयोग न किये जाने एवं धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री प्रागीलाल अहिरवार की जनपद झांसी के थाना लहचूरा में बढ़ते अपराधों की रोकथाम तथा थानाध्यक्ष के खिलाफ यथोचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की कानपुर नगर निगम के इण्टरमीडिएट कालेजों में तैनात लगभग 40 अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान कराने के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई :-

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

2-श्री नवाब सिंह नागर तथा

3-श्री घूरा राम

(श्री श्याम देव राय चौधरी ने अपनी सूचना को पढ़ा)

(शेष स्वीकृत सभी सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयी।)

वाराणसी कैण्ट अन्तर्गत जिउधीपुर में स्थापित शराब ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र-वाराणसी कैंट के थाना-भेलूपुर के वार्ड जोल्हा बस्ती के जिउधीपुर में एक संकरी गली में देशी शराब का ठेका खोला गया है, जिनका लाइसेंस सम्भवतः अन्यत्र स्थान का है और यह स्थान सरायनन्दन में है। यहां मंदिर और विद्यालय स्थित हैं, मंदिर के दर्शनार्थियों और विद्यालय के बच्चों को इसी गली से गुजरना होता है। यहां अधिकांशतः गरीब एवं हरिजन बस्ती है जिनके बच्चे ठेके से गिलास में दो-दो रुपये की शराब लेकर, पीकर बरबाद हो रहे हैं, अभिभावक इससे काफी परेशान हैं। देशी शराब पीकर शराबी रात करीब 2.00 बजे तक गली में अभद्रता करते रहते हैं। गली से गुजरने वाली महिलाओं एवं लड़कियों का हाथ पकड़ लेना, अश्लील हरकतें करना, आस-पास के निवासियों के दरवाजे खटखटाना, अपशब्दों का प्रयोग करने जैसी घटनाएं निरन्तर हो रही हैं। महिलाओं, लड़कियों, मंदिर के दर्शनार्थियों और विद्यालय के बच्चों का इस गली से गुजरना दूभर हो गया है। इससे तंग आकर नागरिक जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, आज 23 दिनों से धरने पर बैठे हैं,

---

नोट :-i] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी को ज्ञापन दिये गये हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी को भी सूचना भेजी गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे जनता में भयंकर रोष एवं आक्रोश है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त शराब ठेके को तत्काल हटाये जाने की मांग करता हूं।]

पुराना किला (सदर) लखनऊ में ओवरब्रिज का उद्घाटन एवं ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट को चालू करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर गुप्त-

[आपको अवगत कराना है कि मा0 लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2017ई/23-11-06-29आर/2002 दिनांक 22 अगस्त, 2006 द्वारा यह सूचित किया है कि नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22-3-2005, को दी गयी सूचना पर लखनऊ में कैण्ट रोड से सदर जाने वाले रेलवे क्रासिंग के ऊपर बनाये गये उपरिगामी सेतु का निर्माण मई 2006 में पूर्ण किया जा चुका है और उस पर यातायात भी चालू हो गया है।

महोदय इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह अवगत कराना है कि उक्त सेतु का यातायात तो चालू हो गया है परन्तु उक्त उपरिगामी सेतु पर लगायी गयी स्ट्रीट लाइटें जलायी न जाने के कारण उस पुल पर दुर्घटना की सम्भावना अत्यधिक बढ़ गयी है और रात-बिरात राहजनी एवं आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ जाने की सम्भावना है। उल्लेखनीय है कि उक्त पुल में बने हुए ड्रेन पाइप की जाली आदि स्ट्रीट लाइटें न जलने के कारण चोरी कर ली गयी हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पुल का विधिवत् उद्घाटन कराने एवं उसके ऊपर लगी स्ट्रीट लाइटों को रात्रि में यथासमय जलाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें।]

वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सरकारी मंशा के विपरीत कार्य में प्रगति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में महारानी लक्ष्मी बाई का अविस्मरणीय योगदान रहा है जिसका इतिहास साक्षी है। वाराणसी में अस्सी क्षेत्र में उनकी जन्मस्थली पर एक प्रेरणादायी स्मारक का निर्माण तथा उक्त स्थल को वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु मेरे द्वारा वर्तमान विधान सभा में एक निजी संकल्प प्रस्तुत कर मांग की गयी थी जिसके उत्तर में सरकार ने उक्त जन्म स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं वहां पर महारानी लक्ष्मी बाई की स्मृति में एक भव्य स्मारक निर्माण कराये जाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जा चुका

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं लेकिन खेद का विषय है कि उक्त दिशा में शासन को सक्रिय कदम उठाने के लिए कई बार प्रयास किये जाने के बावजूद अभी तक कोई भी प्रगति परिलक्षित नहीं हो रहा है जिससे काशी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। राज्य के पर्यटन मंत्री द्वारा मुझे एक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उक्त दिशा में प्रभावी कार्यवाही एवं प्रगति हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त पत्र की प्राप्ति के कई माह बीत जाने एवं मेरे द्वारा संकल्प प्रस्तुत किये जाने के सालों बाद भी सरकारी मशीनरी के निष्क्रिय रहने से कोई प्रगति दिखायी नहीं पड़ना घोर चिन्ता का विषय है। उक्त परिस्थिति का सरकार द्वारा गम्भीरता से संज्ञान लिये जाने एवं अपनी मशीनरी को सक्रिय करने की दिशा में प्रभावी निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है ताकि अतिशीघ्र उक्त जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक का निर्माण एवं प्रेरणादायी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की वर्तमान सरकार की वचनबद्धता पूरी हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर जनपद के 50-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम हुसेनापुर सिमरई, रोसर, दनियापुर, जमालपुर को जाने वाले सम्पर्क मार्ग जो लेपन स्तर तक 5-6 वर्ष पहले बनाये गये थे सभी जीर्णक्षीर्ण हालत में हो गये हैं। इन पर दुर्घटनायें होती हैं। इनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त पांचों सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज-हाटा मार्ग का निर्माण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[माननीय सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला, जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज से हाटा की सड़क के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये स्वीकृत है। 10 करोड़ के सापेक्ष मात्र 1 करोड़ 25 लाख रुपये कार्यदायी संस्था लोक निर्माण कस्बा कुशीनगर को मिला था। उक्त धन के उपयोग करने के बाद धनाभाव के कारण सड़क का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। यह सड़क अति महत्वपूर्ण है। सड़क न बनने के कारण जनता में घोर असन्तोष एवं क्षोभ है। पर्यटकों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अति अविलम्बनीय महत्वपूर्ण लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा आग्रह करता हूं कि अवशेष धन आवंटित कर निर्माण कार्य शीघ्र ही जनहित में प्रारम्भ कराया जाए।]

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर व बांसडीह में अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया में दो तहसीलें हैं क्रमशः सिकन्दरपुर एवं बांसडीह, यहां पर घाघरा के किनारे पचास ग्राम ऐसे है जहां गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं। घाघरा नदी के किनारे घाघरा का किनारा पड़ता है जहां बाढ़ भी आती है एवं मकान भी हैं। इस क्षेत्र के पचास ऐसे ग्राम हैं जिनमें पक्का मकान नहीं है झोपड़ी है यहां पर प्रतिवर्ष आगजनी होती है इससे गांव का गांव बुरी तरह जल जाता है सैकड़ों परिवार बेघर हो गये हैं। जिनके सामने भुखमरी की समस्या हो जाती है। तहसील मुख्यालय पर अग्नि शामक यंत्र गाड़ी न होने से बलिया मुख्यालय से बुलवाना पड़ता हैं तहसील से 35 कि0मी0 पर मुख्यालय होने के कारण आग बुझाने वाली गाड़ी देर से आती है तब तक गांव जल जाता है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह मुख्यालय पर अग्नि निरोधक गाड़ी रखवाने की कृपा करें।]

लखनऊ के महोना क्षेत्रान्तर्गत राजकीय हायर सेकेन्ड्री कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र महोना, जिला-लखनऊ के अन्तर्गत कन्याओं के शिक्षण हेतु राजकीय कन्या विद्यालय हाई स्कूल, गोमती नगर लखनऊ तथा रा0क0वि0 हाई स्कूल लोहियानगर और रा0क0वि0 हाई स्कूल इंदिरा नगर, लखनऊ स्थापित है परन्तु हाई स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद छात्राओं को इण्टर की शिक्षा के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की प्रबल मांग है कि इन राजकीय विद्यालयों को उच्चीकृत कर इण्टर तक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। छात्राओं की हाई स्कूल के बाद की शिक्षा सुचारु रूप से चल सके इसके लिए इन विद्यालयों का उच्चीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इण्टर की शिक्षा की व्यवस्था न होने से जनता में काफी रोष है जिससे सरकार की छवि भी भूमिल हो रही है। राजकीय कन्या विद्यालय हाई स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ को उच्चीकृत किए जाने हेतु धन की व्यवस्था जिलांश से की जा चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत कर इण्टर तक की शिक्षा की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।]

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सदल प्रसाद-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-गगहा के अन्तर्गत गोरखास चाड़ी केशवापार मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि उक्त मार्ग पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों एवं राहगीरों में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मांग को देखते हुए उक्त मार्ग को तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में ब्लाक भीकनपुर से नन्हेड़ा अल्यारपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिजवान अहमद खां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 8 कांठ जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत जो मार्ग अति महत्वपूर्ण है तथा दोनों जनपदों को जोड़ता है। वह अति जर्जर एवं ध्वस्त हो गया है। ये मार्ग राज्य मार्ग हाईवे के ब्लाक भीकनपुर से ग्राम नन्हेड़ा अल्यारपुर जनपद जे0 पी0 नगर तक लगभग 3x4.5 कि0मी0 एवं ग्राम रामहट के मन्दिर से ग्राम मोढ़ीजट होते हुए रेलवे लाइन तक ब्लाक जोया जनपद-जे0 पी0 नगर में है। जो अति क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मार्ग अति महत्वपूर्ण है। इन मार्गों की मरम्मत न होने से जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए उक्त मार्गों को विशेष मरम्मत तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र बरवा राजा पाकड़ में 20 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[मान्यवर, 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र बरवा राजा पाकड़ जनपद कुशीनगर में साढ़े बारह एम0बी0ए0 क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगा है कम क्षमता के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है 20 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक नहीं लग पाया। इसके साथ ही वर्ष 2005-06 में विधायक निधि द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया जिससे जनता को असुविधा हो रही है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र बरवा राजा पाकड़ में 20 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर यथाशीघ्र लगाये जाने एवं वर्ष 2005-06 में विधायक निधि द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवमुक्त धनराशि से विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में राजापुर के पास गोघनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोधनी नदी पड़ती है नदी पर राजापुर (कटया) के पास सकरी पुलिया होने के कारण बरसात के दिनों में पानी नहीं निकल पाता है। जिससे आस-पास के गांवों का आपस में सम्पर्क टूट जाता है जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं दुख व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुल के स्थान पर नया पुल बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

फैजाबाद के अयोध्या क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद फैजाबाद में पानी निकासी हेतु नालों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की समस्या से निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिक्रमा रोड बाई पास मार्ग से जनौरा, तिलक नगर, नाका तिराहा, रामनगर, घोषियाना, खोजनपुरा, मोदहा, सिविल लाइन तथा डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सामने जिगज बिहार कालोनी, आनन्द बिहार कालोनी होते हुए बाई पास चौराहे के किनारे-किनारे से ट्रान्सपोर्ट नगर तक नाला निर्माण एवं सहादतगंज बाई पास के हनुमान गढ़ी सहादतगंज में पानी निकासी हेतु नालों का निर्माण जनहित में आवश्यक है। पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहां के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालों के निर्माण हेतु जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त क्षेत्र में पानी निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनवाए गए चैक डैमों के निर्माण में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र कुमार-

[जनपद हमीरपुर बुन्देलखण्ड का अति पिछड़ा जनपद है। यहां पर सिंचाई का कोई मजबूत आधार नहीं है। भारत सरकार व प्रदेश सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चैकडैमों को बनाने हेतु भारी मात्रा में विभागों को धन सौंपा गया है। लघु सिंचाई विभाग हमीरपुर द्वारा भी काफी तादाद में विगत कुछ वर्षों से चैकडैम बनवाये गये हैं। यह कार्य प्रगति पर भी है। किन्तु लघु सिंचाई विभाग हमीरपुर के द्वारा जितने भी कार्य कराये गये हैं कोई भी कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया जा रहा है। चैक डैमों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है जिससे या तो चैकडैम फट रहे हैं या फिर नीचे से पानी ही बह जाता है। पानी का भराव नहीं हो पाता हैं। बहुत से चैकडैमों में स्टीमेट में दिये गये मैटीरियल देने के आधार पर पत्थर नहीं लगे हैं। भारी पैमाने पर चैकडैमों के कार्य में धांधली कर विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का करोड़ों रुपये का घपला किया जा रहा है।

उक्त अधिकारियों द्वारा चैकडैमों के कार्य में फर्जी कार्य दिखाकर भी पैसा निकाला जाता है। जैसे पानी निकालना शीट लगवाना पेड़ पौधे लगवाना आदि तमाम कार्य दिखाकर पैसे निकाले जाते हैं जबकि कोई चीज नहीं लगाई जाती। उक्त अधिकारियों के द्वारा भारी पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच किसी जिम्मेदार उच्चस्तरीय अधिकारी से कराई जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए सही मायने में बुन्देल खण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उक्त सभी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराकर दण्डनीय कार्यवाही करने की कृपा की जाय।]

जनपद झांसी के थाना लहचूरा में बढ़ते अपराधों की रोकथाम एवं थानाध्यक्ष के खिलाफ यथोचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

[आपको अवगत कराना है कि थाना लहचूरा में थानाध्यक्ष श्री ललित कुमार के अपराधियों से सांठ-गांठ होने से अपराधों को बढ़ावा हो रहा है और अपराधी नहीं पकड़े जाते :-1-ग्राम गुड़ा में केशवदास सोनी की हत्या दिनांक 5-3-06 को अपराधियों द्वारा की गयी थी, जिसमें मु0अ0सं0 32/06 धारा-304 थाना लहचूरा में लिखाई गयी लेकिन आज तक न तो किसी अपराधियों का सुराग मिला है और न कोई अपराधी पकड़े गये थानाध्यक्ष लहचूरा अपराधियों से लम्बी रकम ले लिये हैं। 2-ग्राम रोरा में लूट और डकैती व बलात्कार की घटना दिनांक 4/5-07-06 को हुई जिसका मुकदमा अपराध संख्या 191/06 धारा-147, 452, 323, 504, 395, 397, 376 थाना लहचूरा में लिखाया गया है। जिसके अपराधी सुरेन्द्र सिंह आदि आज तक नहीं पकड़े गये व भुक्तभोगी श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री हरपाल सिंह की न तो थानाध्यक्ष द्वारा कोई डाक्टरी करवाई गयी क्योंकि थानाध्यक्ष ललित कुमार अपराधियों से पहले से मिले हुए हैं। इसलिए आज तक मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि पीड़ित परिवार को थानाध्यक्ष लहचूरा ने अपराधियों के माध्यम से गांव से भगा दिया। 3-ग्राम धमना पायक में श्रीमती राजा बेटी पत्नी श्री श्याम लाल धोबी के साथ बलात्कार हुआ जिसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष लहचूरा ने नहीं लिखी। जबकि भुक्तभोगी ने न्यायालय के आदेश से सी-7 धारा 452, 323, 376, 504, 506 के अन्तर्गत दिनांक 9-06-06 को लिखी गयी और 26-06-06 को थानाध्यक्ष द्वारा खात्मा लगा दिया गया। मुल्जिमानों से रकम लेकर भुक्तभोगी महिला को परिवार सहित ग्राम से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भगा दिया। 4-ग्राम चकारा के थाना लहचूरा में थानाध्यक्ष द्वारा द्वारिका प्रसाद अहिरवार से नाजायज तरीके से रुपया की मांग की रुपये न देने पर उसके 75 वर्षीय पिता श्री बब्लू पुत्र श्री सूरे का चालान 107/116 के अन्तर्गत कर दिया जबकि 75 वर्षीय वृद्ध को आंखों से नहीं दिखाई देता है।

अतः इस तरह अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय तथा थानाध्यक्ष लहचूरा श्री ललित कुमार के साथ कानूनी कार्यवाही कराई जाय।]

कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में तैनात अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

[कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा कई विद्यालय संचालित हैं जिसमें 40 अध्यापिकायें विद्यालय फण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1998 से कार्यरत है। पूर्व में इनके द्वारा समुचित ढंग से शिक्षण कार्य विद्यालय द्वारा लिया जाता रहा है तथा समय से वेतन का भुगतान भी किया जाता रहा है। वर्ष 2004 से वेतन का भुगतान समय पर न करके विलम्ब से किया जाता रहा है। परन्तु 01 अगस्त, 2006 से इन अध्यापिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने तथा शिक्षण कार्य करने से सम्बन्धित प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा मौखिक रूप से मना कर दिया गया है। जबकि सभी अध्यापिकायें प्रत्येक कार्य दिवस में समय से विद्यालय जाती है। सम्बन्धित अध्यापिकाओं द्वारा उपरोक्त का कारण पूछने पर प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा बताया जाता है कि प्रशासक ने मौखिक आदेश दिये हैं कि इन अध्यापिकाओं को न तो उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने दिया जाय और न ही इनसे शिक्षण कार्य ही लिया जाय। सम्बन्धित शिक्षिकाओं की आयु अब किसी अन्य जगह के लिये अर्ह न होने के कारण इनका तथा इनके परिवार का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

उपरोक्त वर्णित विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है तथा 40 अध्यापिकाओं और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देती हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-8-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई, इनमें से कोई सूचना नहीं सुनी जायेगी।

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद में कई वर्षों पूर्व निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में है। यह नियम 300 में नहीं आती है।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौड़ साहब बैठ जायं। मैंने इसको खारिज करने के बाद भी पढ़ दिया, यह नियम 300 में नहीं आती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुजन समाज पार्टी को संख्या बल के आधार पर सदन में बोलने का समय दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री लाल जी वर्मा तथा श्री रंगनाथ मिश्र की सदन में बहुजन समाज पार्टी को संख्या बल के आधार पर बोलने का समय दिए जाने के सम्बन्ध में। अभी इस प्रकार का नियम बना नहीं था कि संख्या बल के हिसाब से समय निर्धारित किया जाय। यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है जो खड़ा होता है उसे बुलवा दिया जाता है।

*श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों का प्रशिक्षण हो जाय इनको यह नहीं पता है कि कौन से विषय नियम-300 में उठाए जाते हैं। अध्यक्ष पीठ पर इस तरह से आक्षेप नहीं लगाए जाते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, अगर आपकी जिज्ञासा है तो इस पर दलीय नेतागणों से बात कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संख्या बल के आधार पर ...।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये मौर्य जी। आपको यही शिकायत है। यह सामान्य चर्चा थी। एक घण्टे की चर्चा थी। इसमें एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। यह सही है कि समय का पालन होना चाहिए। समय की छूट केवल इस सदन की परम्परा के अनुसार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल को ही मिलती है। वे जब चाहें हस्तक्षेप कर सकते हैं और जितना चाहें बोल सकते हैं। बाकी सदस्यों के लिये समय निर्धारित होता है। यह ईमानदारी की बात है कि समय के अनुसार कोई नहीं बोला है। सबने समय की सीमा से बढ़कर बोला है। समय बढ़ाया भी गया और इतने समय में आपके अधिक सदस्य नहीं बोल पाये तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर आप लोग सहमत हैं कि जिस तरह से पार्लियामेन्ट में संख्या बल के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है उसी तरह से यहां पर भी हो तो ठीक है। इस विषय में बैठकर बात कर लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम यही चाहते हैं इसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, यह पीठ का विशेषाधिकार है। जब तक नियम नहीं बना है पीठ से समय में छूट दी जा सकती है।

दस्यु सरगना ददुआ द्वारा ददू्दू प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

ददू्दू प्रसाद जी की सूचना थी। यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। दो दिन आप भी अपनी सुरक्षा के बारे में बोल चुके हैं। कल आप बोल चुके हैं, आपको बोलने का अवसर दिया गया था। यह औचित्य में नहीं आता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, अगर इनको अपनी जान का खतरा है तो मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं माननीय नेता सदन और सरकार से इनकी सुरक्षा के बारे में बात कर लूंगा।

अगली सूचना मुंशी लाल गौतम जी की है, यह औचित्य में नहीं आती है। पता नहीं कहां-कहां से ले आते हैं। अगली सूचना जगदम्बिका पाल जी की है, यह भी औचित्य का विषय नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-3 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मानयवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था, (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6, 7 में कुछ नहीं है।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुमति से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 अगस्त, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री श्यामसूरत उपाध्याय, श्री जगदम्बिका पाल, डा0 सुशील चौधरी, श्री संजीव दरियाबादी, श्रीमती लुईस खुर्शीद की प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार एवं बिजली के संकट के कारण प्रदेश से हो रहे उद्योगों के पलायन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं जनहित में इस प्रश्न को उठा रहा हूं मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत गम्भीरता से विचार हो जाए ताकि जो प्रदेश का स्वरूप बने उसमें उद्योग ज्यादा से ज्यादा लग सके। श्रीमन मुझे चिन्ता इसलिए थी कि पिछले 2004 में 14 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश का अनुबन्ध हुआ। 2005 में 35 हजार करोड़ का अनुबन्ध हुआ और 2006 में अब तक यह आंकड़े जून तक के हैं। 17 हजार करोड़ रुपये निवेश की व्यवस्था हुई। परन्तु मान्यवर, एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया है मैं चाहता हूं जो अनुबन्ध हुआ था उसका दो वर्ष और ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी दस प्रतिशत अभी पूंजी निवेश प्रारम्भ नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुबन्ध हुए थे उसमें तो 90 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ है। मैं कुछ नाम ले लूं आपके सामने सुविधा के लिए

---

† दिनांक 31-8-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इन्होंने किया और पूंजी विनिवेश नहीं किया। जैसे मान्यवर,टेल्को है, सुन्दरम् लि0 है, ग्लास इन्डस्ट्रीज है, बजाज लि0 है, लापार्ट लि0 है, महेन्द्रा है, बजाज है, हीरो हांडा है और बिरला पावर साल्युशन है कई उद्योगों की स्थापना की बात है मान्यवर, यहां पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला विषय है, वह और चिन्ता का विषय है। यहां जमीन ले ली, अनुबन्ध कर लिया और चले गए दूसरे प्रदेशों में पड़ोसी राज्यों में, विशेषकर उत्तरांचल में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य से जुड़ा है प्रदेश के, अगर यहां पर बात करते हैं और उद्योग दूसरी जगह लगाते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की क्षति होगी। मैंने नाम नहीं लिया आपसे, मैं सारी सूची आपको बता सकता हूं अब मान्यवर, जैसे चोला में एक हजार मेगावाट की क्षमता का टाटा का प्रस्ताव आया था चार सौ करोड़ का। मान्यवर, प्रस्ताव तो कर दिया इन्होंने लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि कहां लगेगा अभी जमीन भी परचेज नहीं हुई। इसी तरह से सुखवीर एन्ड्रोज का है 100 करोड़ रुपये की इन्होंने बात की लेकिन मान्यवर एक पैसे का इसमें उन्होंने पूंजीनिवेश नहीं किया है। उससे ज्यादा मान्यवर, मुझे इस विषय को उठाने के लिए प्रेरित किया है कि 150 प्रस्ताव विचाराधीन हैं और 150 प्रस्ताव में, अपने मानक के अनुरूप इसको प्रस्तुत करने की जहमत दी है, सिर्फ 45 प्रस्ताव ऐसे हैं जो वाणिज्य मंत्रालय में गए हैं।

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि ज्यादातर में एन0सी0ओ0 नहीं लगाया इन्होंने, या जमीन का प्रस्ताव नहीं लगाया। इससे यह साबित होता है कि इनकी रुचि नहीं है इन प्रस्तावों को लगाने में। मान्यवर, जब उनसे बात की गई तो मुझे दो-चार लोग मिले, उन सबने रोना रोया है बिजली की कमी का या फिर कानून व्यवस्था का। मेरा यह कहना है कि इस प्रदेश में उद्योग लगें इसमें मेरी रुचि है। सबकी रुचि होगी। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी सरकार ने इसमें प्रयास भी किया था। लेकिन सब मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वह सही नहीं है। इस पर मैं आग्रह करूंगा इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर एक नीति बनाई जाए और उस नीति पर हम हर तरह से सहयोग देना चाहेंगे। हर तरह से जो सरकार कदम उठाना चाहे उसमें सहयोग देना चाहेंगे। लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि जिन लोगों ने यहां पूंजी निवेश का वायदा किया था वह पूंजी निवेश करें। हम एक-एक बात लेकर चलें मैंने आपके सामने सूची पढ़ी हैं क्या कारण है इस पर विचार करना पड़ेगा। बदलते प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। मान्यवर जो मैंने साफ्टवेयर की बात की, साफ्टवेयर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूंजी निवेश हुआ है वह किसी भी हालत में सिकन्दराबाद या हैदराबाद से कम नहीं हो रहा है। दूसरा केन्द्र विकसित हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में हम निश्चित रूप से दक्षिण से आगे निकल रहे हैं लेकिन मान्यवर यह जो बड़े उद्योग हैं उनका न आना चिन्ता का विषय है। इसको लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि इस विषय को समझते हुए इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। कैसे उद्योग लग सकें इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए। अविलम्बनीयता इसलिए है कि इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है। लोक महत्व का इसलिए है कि पूरे प्रदेश से जुड़ा है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, आप बैठ जायें। आपका दूसरा भी है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मा0 प्रमोद कुमार जी ने जो गम्भीरता का सवाल उठाया, तो गम्भीरता तो मेरे लिए इसलिए हो सकती है कि आपने कह तो सब दिया, यह जानते हुए भी कि बाधक कौन है, अगर आपकी तरफ से मैं पूरी बात खोल कर रख दूं तो अच्छा नहीं होगा। (कुछ लोगों के बोलने पर), नहीं-नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

सुन लीजिए, आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल को जो सुविधा दी है, इन्कम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, और एक्साइज में, इतनी सुविधाएं दे दी हैं, नेता विरोधी दल की दिल्ली की सरकार ने, उत्तरांचल को जो सुविधाएं दे दी हैं, अच्छा है, हमें कोई विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बगल में है, इसलिए हिमांचल में दिया है और इतनी सुविधाएं दे दी है कि बगल में ही रामपुर और काशीपुर से फैक्ट्री लगा करके और यहां से उत्पादित सामान वहां जाता है। यह हालत है। पूरा एक ऐसा षड़यंत्र है, केन्द्र सरकार का। पहले भी कहा था, अब भी बता रहा हूं, अभी माननीय वित्त मंत्री जी से किसी तरह से, मैंने अमर सिंह जी से कहा कि बात करिए, वादा किया कि अब की हम नहीं बढ़ायेंगे 6 महीने तक और बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया 3 साल यदि आज आप कह रहे हैं कि सहयोग करेंगे तो आप सहयोग कर दीजिए तो समस्या ही हल हो जाए, कोई पलायन नहीं कर सकता। यह हम कहेंगे नहीं, अगर मा0 प्रमोद कुमार जी, हमसे अकेले में बैठकर बात कर लें और कहीं कमरे में बैठकर आपको पीछे बैठा दें और उद्योगपति बुला लें तो वह बता देंगे कि वह क्यों नहीं आये थे ? चुपचाप बैठ जाइये और सुनते रहिए, उन्हें हम बतायेंगे कि प्रमोद कुमार जी बैठे हैं, क्या-क्या बतायेंगे, कौन हटा, इन बातों को हम कहना नहीं चाहते थे। लेकिन, हां यह है कारण, तो आज यह संदेश गलत मत दीजिए, इतनी कानून-व्यवस्था बेहतर कभी नहीं थी।

कानून-व्यवस्था के बारे में मैंने कल ही कहा था कि आयोग बैठे और आयोग बैठकर केवल मुम्बई, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की समीक्षा करे इससे फैसला हो जायेगा कि कानून-व्यवस्था कहां की अच्छी है। हम आपसे कह ही चुके हैं और आप कितना कहेंगे, कानून-व्यवस्था के बारे में, कानून-व्यवस्था के अलावा बचा क्या है, आपके पास। कानून- व्यवस्था का मुद्दा सस्ता है, आज इलेक्ट्रानिक मीडिया है, हत्या हो जाती थी, पता नहीं चलता था, अब हत्या-हत्या पूरे दिन एक हत्या ही चलती है, पूरे दिन, अब मान लीजिए, उनके चाचा हैं और भतीजे को मार दें, भतीजा चाचा को मार दे, बता दें क्या है, कानून-व्यवस्था, यह कानून-व्यवस्था है ? या पति-पत्नी में कुछ हो गया है, उसको जहर दे दिया, बच्चों को जहर दे दिया, गुस्सा हो गया और वहां बड़े-बड़े नेता चले गए, वह नेता नहीं (कुछ सदस्यों के कुछ कहने पर), वह नहीं कहेंगे, किसी भी बेटी का हम सम्मान करते हैं, कोई भी बेटी हो। आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां महिलाओं को विशेष अवसर देती हैं। लेकिन

माननीय प्रमोद कुमार जी, हम आपसे **जरूर कह** सकते हैं, क्योंकि सरकार में सहयोग आपका है और नीतियां हम चला रहे हैं, आप चला नहीं सकते, न दिल्ली में चला सके और न यहां रहते हुए चला सके, उन नीतियों को आज हम चला रहे हैं और यह पहली उपलब्धि ऐसी है कि बिना भेदभाव के सरकार चल रही है, कौन उच्च वर्ग, कौन पिछड़ा कौन दलित, यह सरकार जब चल रही है, तो इस सरकार के प्रति कोई गलत संदेश मत दीजिए कि कानून-व्यवस्था की वजह से उद्योगपति नहीं आ रहे हैं, उद्योगपति फिर भी आयेंगे, आप कह रहे हैं, रोजा वाले थे, रोजा वाला रास्ता दूसरा निकालेंगे, वह क्यों हटा रहे हैं, बता दिया केन्द्र सरकार को कि क्यों हटा रहे हैं। बुलाया गया, कहां बुलाया गया था, छोड़ दीजिए। दूसरे को तैयार कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे दे दो, हम लगा देंगे। हमारे ऊपर जितने छापे मारें, जो कुछ करें, यह हालत आज है, इसलिए मैंने कहा कि माननीय प्रमोद कुमार जी आपका सहयोग हो जाए तो उत्तर प्रदेश तो दो साल में ही हिन्दुस्तान में नम्बर-1 पर आ जायेगा।

हम अपने तरीके से पहली बार आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रहे हैं। बीच में कोई पैसा नहीं खा सकता है। हां कन्या विद्या धन के बारे में यद्यपि कुछ शिकायतें मिली है तो उसमें हम किसी को माफ ही नहीं करेंगे। हम दोषी अधिकारियों को या प्रबन्धन का कोई दोषी हो, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या कोई अन्य हो जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे और उसको जेल भी भिजवाएंगे। इसमें सहयोग आपका चाहिए। हम बेरोजगारों को सीधा पैसा भेजेंगे। एक बार तो बाटेंगे बेरोजगार नौजवानों को उसके बाद बेरोजगारी भत्ता सीधे बैंक के माध्यम से मिलेगा। 19 हजार 600 रुपया जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की रेखा है हम उन्हें बीस हजार रुपया दे रहे हैं। उन्हें हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। 6 हजार रुपये सालाना मिलेगा तो गरीबी की रेखा से वह कुछ तो ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन अगर उसमें आपका सहयोग मिल जाये और दिल्ली का सहयोग मिल जाये, एक वातावरण बनने दें। लेकिन आप उसमें मत फंसो। मुझे लगता है कि पीछे से बता दिया है कि बताना पड़ेगा, तो आप यह कह रहे हैं। पहले तो यह हमारी मित्र रही हैं। हां यह सही है। खाना पर बुलाती थीं। हम भी नाश्ता पर बुलाते थे। अब नाराज है। उन्हें नाराज होने दो आप क्यों नाराज हैं ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोद कुमार जी आप यह संदेश उत्तर प्रदेश को मत दीजिए। मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का कारखाना लगे। विष्णु प्रयाग का कारखाना किसने लगाया, यह मैंने लगाया है और कैसे लगाया है। जो 6 महीने से प्रस्ताव पड़ा था उसमें पण्डित ज़ी ने बताया कि कल ही का मुहूर्त है। हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, सबको बुलाया और जे0 पी0 को बुलाया और कहा कि कल ही मुहूर्त है। तो उन्होंने कहा कि कल कैसे होगा। मैंने कहा नहीं कल ही होगा। एक टेबिल पर सब अधिकारी बैठो मैं भी बैठूंगा। फाइल चलती आएगी तो मैं भी दस्तखत कर दूंगा। उसके बाद हमने यह विष्णु प्रयाग का कार्य किया। आप लोग कह देते हो कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अगर आपकी नीतियां चलती तो समाजवादी पार्टी पनपती नहीं। हां यह सही है। क्यों डा0 लोहिया, जय प्रकाश ज़ी अलग हो जाते ? इसलिए अलग हुए क्योंकि आजादी के समय जो नीतियां तय हुई थीं उन नीतियों से यह सरकार हट गयी। आपके अपने पथ से हटने पर हमने यह समाजवादी आंदोलन खड़ा

किया और अपनी नीतियों के बल पर ही समाजवादी आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है। इसको आप रोक नहीं सकते। सरकार आती और जाती है लेकिन हमें पता है कि हमारी सरकार आगे फिर बनेगी। कितनी भी कोशिश कर लें। हमें पता है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं इकट्ठे किसके खिलाफ होते हैं ? ताकतवर के खिलाफ। अगर आप हमारे खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे खिलाफ कुछ छपेगा नहीं तो हम समझेंगे कि हम कमजोर हो गये। इसलिए हम चाहते हैं कि आपने सहयोग की बात कही है। यह संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हैं मान्यवर, आज उत्तरांचल में जो सुविधाएं दी जा रही हैं अगर वही सुविधाएं उत्तर प्रदेश को दिला दी जाती तो उत्तर प्रदेश का और विकास होता। लेकिन अगर नहीं भी दिलाते हैं तो भी उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को कोई कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और आएंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर श्री प्रमोद कुमार जी और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना और दोनों को सुनने के बाद में इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की प्रदेश में ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की कमी के कारण उत्पन्न की स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से एक निर्णय हुआ था कि दस साल से एक जगह सेवाओं में जो डाक्टर लगे हैं उनको दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाय। सरकार ने इस निर्देश का पालन करने की कोशिश की। जिस डाक्टर का ट्रांसफर आजमगढ़ हुआ और आजमगढ़ वाले का मान लीजिये लखनऊ हुआ तो उन दोनों जगह पर डाक्टर जा नहीं रहे हैं। नया डाक्टर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहा है। अगर करता भी है तो वह बीच में छुट्टी ले लेता है। वह कार्यभार ग्रहण करके पी0एच0सी0 या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं जा रहा है और पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। हमारे यहां तीन चार पी0एच0सीज0 हैं। वहां पर रोज जनता चिल्ला रही है लेकिन डाक्टर नहीं है। फार्मेसिस्ट अस्पताल चला रहे हैं। जो निर्देश मा0 उच्च न्यायालय ने दिया है उसका पालन करें जो डाक्टर्स वहां पर नये आये हैं वह वहां पर रहें। ठीक है और हम जानते हैं कि डाक्टर्स कम हैं। आप बताते हैं कि तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था संविदा के आधार पर रखने की कोशिश की है, यह अच्छी व्यवस्था है लेकिन उनका कार्यभार ग्रहण करायें। आप इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछ सकते हैं कमोवेश सब जगह एक सी ही स्थिति है। एक भी डाक्टर मौजूद नहीं है, पूरा सदन इस बात को स्वीकार करेगा।

आज मस्तिष्क ज्वर हो रहा है, कहीं पर संक्रामक रोग फैला है, कहीं मच्छरों का प्रकोप है और इन मरीजों का शोषण नर्सिंग होम वाले कर रहे हैं। जो पांच रुपया में दवा करा सकते हैं वे मजबूरन वहां पर जा रहे हैं या फिर झोला छाप डाक्टर से इलाज करा रहे हैं और जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं। चरपाई में सुला-सुलाकर ग्लूकोज चढ़ रहा है। कहीं-कहीं तो पेड़ की डालों में लटकाकर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। यह परिस्थितियां हैं और यह परिस्थितियां पूरे ग्रामीण अंचल में

हैं। चाहे पी0एच0सी0 हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, सब जगह यह परिस्थितियां विद्यमान हैं। आज आप इसमें चर्चा करा लें। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा और स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसमें सबकी राय आ जायेगी और इस समय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं और वह संवेदनशील हैं, कोई व्यवस्था या निर्देश सदन से हो जाता है। तो मैं मांग करता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और डाक्टर्स उपलब्ध हों। मैं मानवीय आधार पर ग्रामीण अंचल के गरीब मरीजों के हित में इसे नियम-56 में लाया था। इस पर चर्चा करा दें और डाक्टर्स वहां पर उपलब्ध करा दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह सही है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण यह है कि माननीय नेता सदन ने पर्चा एक रुपया कर दिया है इस बिना पर संख्या बढ़ी है। पहले दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन अब दवाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। इसलिए मरीजों का बढ़ना स्वाभाविक है। यह कहा गया कि बोतल टांगने के लिए स्टैन्ड उपलब्ध नहीं है इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कोई और चीज इस्तेमाल होती है तो इससे यह साबित होता है कि ग्लूकोज की बोतेलें जो पहले नहीं हुआ करती थी, वह मुहैया हो रही हैं। यह सारी बातें यह साबित करती हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है और मरीजों को दवाएं मिल रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह एक रुपया का पर्चा आप पर बहुत भारी पड़ रहा है इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। गरीब आदमी का विरोध आप कर रहे हैं, सबको मिलने वाली राहत का आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपके जमाने में तो पांच सौ रुपये से कम में एक गरीब आदमी की जांच नहीं हो पाती थी और आज उसी को नेता सदन ने एक रुपया पर खड़ा कर दिया है यह एक कष्ट है आपका। यह बताता है कि मरीज बढ़ रहे हैं इसलिए आपकी शिकायत में बल है। आपकी इस शिकायत में किसी हद तक बल हो सकता है कि कहीं पर डाक्टर न हों, कहीं पर स्थानान्तरित किये हुये डाक्टर न पहुंचे हों लेकिन मान्यवर, जहां तक माननीय उच्च न्यायालय का मामला है यकीनन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत ऐसा हुआ और इतना डरी हुयी है सरकार उन आदेशों से कि न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि सारे विभागों ने अपने यहां उस आदेश को यह समझ कर कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्वास्थ्य विभाग के लिए किया है लिहाजा कल हमारे साथ भी कुछ न कुछ हो सकता है। मान्यवर, हमारे लिये तो इतना सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का कि कम से कम मैं तो अपने विभाग में कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, सरकार को उसका पालन करना अति आवश्यक है। मान्यवर, यह अवश्य देखा जायेगा कि अगर किसी जगह पर अगर माननीय सदस्य नेता रहे हैं, किसी कुर्सी पर रहे हैं अगर किसी ऐसी जगह को आप इंगित कर दें बता दें कि फलां-फलां जगह पर इस तरह की कमी हो रही है तो उस कमी को दूर कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने माननीय राजभर जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

अब प्रदेश की कताई मिलों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कालीचरण राजभर जी और श्री पाल साहब की सूचना हैं। श्री कालीचरण राजभर जी की पहले है, पहले वह बोल लें।

श्री कालीचरण राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 के तहत बोलने का अवसर दिया हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ौरा बहादुर गंज वर्षों से स्थापित हैं, मील में हजारों मजदूर काम करते हैं तथा अपनी रोजी-रोटी की समस्या को हल करते हैं विगत कई वर्षों से सरकार के उपेक्षाकृत रवैये के कारण तथा अधिकारियों की तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण मील ठीक से नहीं चलती है अपने वेतन से 25% कटौती भी मजदूर काम करते हैं। इसलिए जो भी वर्कर काम पर जाते हैं, उनको भरपूर वेतन भी समय से नहीं दिया जाता है और अन्दर-अन्दर रणनीति बनाकर सरकार मिल को बन्द करवाने की भी साजिश कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करती है और दूसरी तरफ पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बहादुरगंज, बड़ौरा में जितने भी मजदूर काम करते हैं उनको समय से वेतन भी नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वांचल सहकारी कताई मिल जो बड़ौरा बहादुरगंज चलती है पूरी क्षमता के साथ चलाने का कष्ट करें तथा मजदूरों को सही वेतन समय से दिलाने का कष्ट करें, धन्यवाद।

*श्री जगदम्बिका पाल-

यह एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बहुत समय से अपनी बात कह दी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार बन्द करने का एक प्रयास कर रही है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सहकारी कताई मिलें हैं यह पूरे प्रदेश की स्पिनिंग मिलें केवल उन स्पिनिंग मिल में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को केवल वेतन देने या रोजगार देने की जगह नहीं थी या केवल उस स्पिनिंग मिल में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करने से उनके परिवार की जीविका चलती थी वह एक कारण हो सकता है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के जो लाखों और करोड़ों बुनकर थे, उन बुनकरों को सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर, यह हमारी राज्य सहकारी कताई मिलों की स्थापना हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, निश्चिततौर से किसी भी कल्याणकारी राज्य में हम बहुत सी चीजों को करते हैं तो उसमें हम लाभ हानि का केवल बैलेन्स शीट बनाकर के हम कोई परिसम्पत्ति समाप्त करने का फैसला नहीं करते हैं। जो स्पिनिंग मिल चल रही थी माननीय नेता सदन भी बैठे हैं मैं कहता हूं कि कुछ स्पिनिंग मिल घाटे के कारण बन्द कर दी गयी थी आज तक इस सदन में उन घाटे के कारणों का केवल श्रमिक जिम्मेदार है या जो पी0सी0एस0 से डेपोटेशन पर गये मान लीजिए जी0एम0 बनकर के उन्होंने कई ओवर स्टाफिंग की जो जरूरत की नहीं थी फिजूल खर्ची करके उन्होंने उस मिल के ऊपर वित्तीय भार डाल दिया या जिस तरीके से स्पिनिंग मिल के हेड आफिस में एम0डी0 बैठे हुए लोगों ने, मैं कहता हूं कि कई बार इस तरह के प्रकरण आये और जिसमें जांच भी उच्च स्तरीय शासन ने कभी-कभी बैठाये मान्यवर, उन जांचों के अनुरूप आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उत्तर प्रदेश की चाहे वह मगहर की स्पिनिंग हो, चाहे बहादुरपुर की हो, चाहे मऊआइमा की हो, चाहे कम्पिल की हो चाहे नगीना की हो, चाहे अकबरपुर की हो।

मान्यवर, सारी सूत मिलों को अपने एक निर्णय से बन्द करने का काम किया। आज उन मिलों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। दूसरी तरफ जो मिलें चल रही थीं सस्ता सूत बुनकरों को मिल रहा था उसमें भी कठिनाई उत्पन्न हो गयी हैं। मान्यवर, आज हमारे देश की पहचान हथकरघा से बने कपड़ों से है उनकी तुलना मिलों में बने कपड़ों से नहीं की जा सकती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इन मिलों को जो बन्द करने का काम किया है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया है कि उन्हें किस तरह से समायोजित किया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब इसका उत्तर दें तो स्थिति को स्पष्ट कर दें। मान्यवर, आज जो सारी सूती मिलों को बन्द करने का कैबिनेट का फैसला हुआ है उससे जो हजारों कर्मचारी, मजदूर बेरोजगार होंगे उनको दूसरे विभागों में समायोजित किये जाने का क्या निर्णय लिया गया है। दूसरे जो उनके अवशेष होंगे जैसे ग्रेच्युटी आदि उनके भुगतान की क्या व्यवस्था होगी और इसके अलावा राज्य सरकार बुनकरों को सस्ता सूत उपलब्ध कराने के लिए कौन से उपाय करेगी ? मान्यवर, उन्हें सस्ता सूत नहीं मिलेगा मंहगा सूत अगर वह खरीदेंगे तो मिलों की तुलना में वह प्रतिर्स्पधा में कारोबार नहीं कर पायेंगे। अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार अपने निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता सदन ने सभी कताई मिलों की समस्याओं के निदान के लिए समिति बनाई है और उस समिति में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और यह विचार हो रहा है कि जो मिलें चल सकती हैं उन्हें चलाया जाय। ऐसी मिल जिनको सरकार कोई इन्सेंटिव देकर चला सकती हैं तो वह इन्सेंटिव दिया जाय। ऐसी मिलें जिनको बहुत मजबूरी की हालत में जो वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है और जिन पर लगातार वेतन का भार बढ़ता जा रहा है उनमें वीआरएस के जरिए वहां कार्यरत

लोगों का एक भविष्य निश्चित हो जाय। अगर उनसे काम नहीं लिया जा सकता है और वह मिलें बहुत आउटडेटेड हो गयी हैं और वाइबिल नहीं हैं तो उनके मजदूरों को वीआरएस दिया जा सकता है ताकि उनको पैसा दे दिया जाय और आगे वह अपना कारोबार कर सकें। अभी इसमें कोई आखिरी निर्णय नहीं हुआ है। आखिरी निर्णय यही है कि मिलों को चलाया जाय और उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद दी जाय और किसी तरह से मिल न बन्द हों और काम का नुकसान न हो। मान्यवर, जहां तक वेतन का मामला है जहां बहुत घाटा है वहां वेतन भुगतान की परेशानियां आ रही हैं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय नहीं है इसलिए इसे अस्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदम्बिका पाल तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कल गोरखपुर में एक घटना हुई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सूचना मांगने के सवाल पर दुर्व्यवहार किया। मान्यवर, मामला एक मकान के एक हिस्से के ध्वस्तीकरण से शुरू हुआ। 2005 के एक तत्कालीन सचिव के ध्वस्तीकरण आदेश का जिसके विरुद्ध आयुक्त न्यायालय में वाद लम्बित चल रहा है, उसका कल शासन में बैठे हुए एक उच्च अधिकारी के मौखिक आदेश पर बिना कोई सूचना दिये कार्यान्वयन करा दिया गया। मान्यवर, जब मामले की जानकारी लेने मीडिया के लोग प्राधिकरण पहुंचे तो उनको घेरने का काम किया गया और मारने का काम किया गया। मान्यवर, दो पत्रकारों को थप्पड़ मारे गये उनकी कनपटी पर पिस्तौल लगायी गयी उन्हें कमरे में बन्धक बनाया गया तथा उन पर ईट पत्थर चलाये गये। मान्यवर, जब वहां पर एसएसपी आये तो स्थिति पर नियंत्रण करने का काम किया गया। मान्यवर, मुझे अभी की सूचना है कि उसमें तीन पत्रकार जो घायल हुए थे वह वहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। शासन ने वहां के 25 अधिकारियों को निलम्बित करने का काम किया है और मीडिया ने जब इन कार्यवाहियों को उजागर करने का काम किया तो उनमें बौखलाहट हुई है उसी को लेकर वहां के लोगों ने मीडिया के लोगों के प्रति यह कदम उठाया है। मान्यवर, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष शफी आजमी, पूर्व अध्यक्ष शलभ मणि त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री कमलेश त्रिपाठी, लेखा परीक्षक दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व मंत्री अरबिन्द राय के साथ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया है। मान्यवर, वह इसलिए वहां गये थे कि यह जानकारी मिल जाय कि यह कार्यवाही किन नियमों के अन्तर्गत हुई है। मान्यवर, इस तरह से मीडिया के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके, इन लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर कार्यवाही की घोषणा करने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसके दो बिन्दु हैं, दो पहलू हैं। एक तो जो हादसा हुआ उसकी तफसील क्या है ? एक है प्रशासनिक कार्यवाही और दूसरा है पत्रकार बन्धुओं से सम्बन्धित दोनों गम्भीर हैं। पहले मामले में जो भी न्यायोचित कार्यवाही होगी जो बेहतर से बेहतर कार्यवाही होगी, वह की जायेगी और राधा मोहन दास अग्रवाल जी की सूचना के बाद तो और भी किसी तरह की शिथिलता का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा मीडिया से सम्बन्धित है। यकीनन इन्हें बहुत से अधिकार हैं, वह अधिकार भी है जो शायद नहीं है लेकिन उन अधिकारों के इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा ? सिर्फ इतनी शिकायत कभी-कभी मीडिया बंधुओं से हो जाती है कि उन अधिकारों को लेने का तरीका क्या होगा, किसी से कोई बात जानकारी करने का तरीका क्या होगा, किसी से पूछने का तरीका क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर जहाज पकड़ने जा रहा है तो उसके मुंह में माइक घुसेड़ कर, उसके पैरों में तार बांधकर कि वह जाकर गिर जाय और उस पर वह जल्दी जवाब न दे सके तो यह भी दिखा दिया जाता है कि मंत्री ने जवाब नहीं दिया तो सिर्फ इतना ही शिकवा है, पूरा अधिकार है बात को पूछने का लेकिन थोड़ा सा विचार वह तरीका क्या होगा, बस उसका है। जानकारी की जायेगी कि तरीका क्या रहा अगर तरीका ठीक था तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह प्रश्न मेरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख ठिकानों से जुड़ा हुआ है। आज स्थिति यह है कि प्रदेश भर में नहर, रजबहे और माइनर, उनकी मरम्मत और रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। जन्म जन्मान्तर से एक परिपाटी चली आ रही थी। परिपाटी यह कि जो जिले में तैनात अधिशासी अभियन्ता है और उनका स्टाफ, उनको रख-रखाव का पैसा दिया जाता था, बजट आवंटित होता था और बजट आवंटित होने के बाद में उसकी जिम्मेदारी होती थी कि अपने क्षेत्र की तमाम रजबाहों की, नहरों की मरम्मत वह करें और सफाई करें। यह व्यवस्था यकायक एकदम बदल गयी तो मैंने पता किया कि मरम्मत क्यों नहीं हो रही है रजबहों की सफाई क्यों नहीं हो रही है तो उसने मुझे जवाब दिया गया कि एक पैसा भी बजट का मेरे पास में नहीं आया है हम सफाई कहां से करें तो यह बजट का पैसा गया कहां ? यह जानकारी करने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कोई प्रोजेक्ट कारपोरेशन नाम की संस्था है, इसका नाम तो मैंने पहली बार सुना है। तमाम प्रदेश की नहरों की सफाई, मरम्मत का और मेन्टीनेन्स का पैसा अधिकारियों को न देकर के जिलों में न भेज करके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दे दिया गया। मान्यवर, आप अवगत होगे और सारा सदन अवगत होगा कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन का न तो कोई आफिस किसी जिले में है, न कोई अधिकारी किसी जिले में है आखिर किसान किसके पास जाय। जनप्रतिनिधि के नाते मेरे पास शिकायत आती है, लोग मेरे पास आते हैं। मैं टेलीफोन कर देता हूं, आप लोग भी टेलीफोन कर देते हैं। अब मैं किससे सम्पर्क करूं जाकर के ? काम हो नहीं रहा, कारपोरेशन का अतापता नहीं और कारपोरेशन के पास में कौन सा मैकेनिज्म ऐसा हो गया कि जहां हजारों अधिकारी तैनात थे उनसे काम न लेकर केवल एक कारपोरेशन को दे दिया जाय तो काम कैसे होगा ? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और आज स्थिति यह हो गयी कि बरसात होने के बावजूद नदियों में पानी आया यह कहा गया कि यमुना में पानी नहीं होगा, यमुना भरकर चली लेकिन नहर से खास तौर से रजबहों में पानी नहीं पहुंच सका। मैंने यह देखा कि वह राजबाहे पानी के बिना रहे। बीच-बीच में किसानों ने और लोगों ने उसमें मिट्टी डाल डालकर रास्ता बना लिया।

आना जाना शुरू कर दिया, तो कहां जायें मान्यवर, कहां रोना रोयें और माननीय मुख्य मंत्री जी आपके संज्ञान में, मैं एक बात लाना चाहता हूं क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है और सीधा-सीधा प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, इसे एक्सपेरीमेंट का अड्डा क्यों बनाया गया है ? मैं जानता हूं कि आपका अधिकार है। एक संवैधानिक व्यवस्था भी है, आप अपने विवेक से इसको चाहेंगे तो विभाग में मंत्री रहेगा। यह भी व्यवस्था है कि 6 महीने तक सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन कोई न कोई प्रपाइटी भी होती है। संवैधानिक भी प्रपाइटी होती है कि एक बार हो जाय, दो बार हो जाय, आखिर इस विभाग में यह क्रम कब तक चलता रहेगा। एक मंत्री 6 महीने के लिये बिना सदस्य हुये, एक मंत्री बीच में आये कुछ महीनों के लिये, उसके बाद तीसरे आ गये और वह बिना किसी सदन का सदस्य हुये यहां बैठे हैं, 3 सितम्बर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 4 के लिये होड़ लगी है, लाइन लगी हुयी है मैं आगे नहीं कहना चाहता जो उन्होंने इशारा किया, मेरे लिये यह सौभाग्य नहीं होगा कि मैं कहूं उस बात को लेकिन मान्यवर, भुगतना किसको पड़ रहा है, भुगतना तो प्रदेश की जनता को पड़ रहा है, भुगतना तो प्रदेश के किसानों को पड़ रहा है और मान्यवर, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार कुछ भी हों, आज मैं चाहता हूं कि इसकी जांच आप करा लें कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन कहां से आ गयी, यह काम कर पायेगी कि नहीं कर पायेगी। अगर हो सके सम्भव और आप जैसे मजबूत मुख्य मंत्री से सम्भव होना चाहिए कि कम से कम जिले के अधिकारियों को जो अब तक बजट आवंटित होता था, उनको बजट आवंटित हो जाय, हम अपने जितने भी नहरे हैं रजबहें हैं, पटरियों की मरम्मत करा लें, यह मेरा आपसे आग्रह है और मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि सुनने के बाद कम से कम इस पर आप वक्तव्य जरूर मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर सिंचाई मंत्री जी बोलेंगे ? सिंचाई मंत्री जी नहीं है आप ही बोलिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हो सकता है, दूसरे सदन में हो, परिषद् में हों। माननीय अध्यक्ष जी है समस्या लेकिन उतनी नहीं है, जितनी हुकुम सिंह जी ने और थोड़ी समस्या होना भी चाहिए, नहीं होगी तो फिर कहने के लिये क्या रह जायेगा। बस इतनी समस्या है मान्यवर-

कुछ तो होते हैं मुहब्बत में जुनूं के आसार,

और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।

तो है थोड़ा सा, लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी कुछ ज्यादा ही कर देते हैं उसे। मान्यवर, सूखे का साल है और पानी की उसी तरह से व्यवस्था की जा रही है। नहरों को साफ करने की, उन्हों चलाने की, पानी पहुंचाने की तो जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे भी बहुत जल्दी दूर करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय मंत्री जी इस पर सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आ जाना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने जो कहा, उसे वक्तव्य ही मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, एक वक्तव्य आ जाय, प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि हम लोगों की तरफ भी यह समस्या है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर, जैसा आपका हुक्म।

श्री अध्यक्ष-

अब कृष्णा पासवान जी हैं, माननीय उप नेता जी, यह इनका जो विषय था, वह कल के एजेण्डे में था, कल आप लोग वाक-आउट कर गये तो यह बोल नहीं पायी तो फिर आज उसी प्रश्न को इन्होंने दिया है। लेकिन यह महिला सदस्य हैं, क्योंकि यह बहुत उत्तेजक विषय है, इन विषयों को सम्भाल कर बोलना चाहिये। इसका ध्यान रहे।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। जनपद फतेहपुर में किसनपुर विधान सभा में थाना खरबरेड़ कसरेरू के अन्तर्गत ग्राम बसंवा में 250 वर्ष पुराना कालिका देवी का मन्दिर है, ग्रामीण लोग उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे, क्षेत्रीय एस0डी0एम0 अकमल अख्तर और वहां पर एक लेखपाल शहाबुद्दीन आकर तहसील दिवस में बताया और बताने के बाद मौखिक आदेश कर दिया, रुकवा दिया, उस मन्दिर को बनाने के लिए वहां पर कम से कम ढाई-तीन हजार ग्रामीण इकट्ठे थे। 11 अगस्त को वहां पर प्रशासन के लोग भी पहुंचे और मुझे भी फोन किया गया और मैं भी वहां पर पहुंची, वहां पहुंचने के बाद जो शहाबुद्दीन लेखपाल हैं उसका चार-पांच घर का परिवार है वहां पर, ग्राम बसवा में मन्दिर के पास उनका मकान

है, उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों में तो अच्छा भाईचारा था, अब झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो लेखपाल ने बताया कि हम अपना मकान बनवा रहे थे और मकान के अन्दर मदरसे का रूप हमने दिया, मदरसे का रूप देने के बाद जब ग्रामीणों ने अपना मन्दिर बनवाना शुरू किया तो रोक लगवा दिया। एस0डी0एम0 महोदय वहां पर थे, मैं उनसे पूछा कि क्या यह मन्दिर नया है तो उन्होंने बताया कि मन्दिर नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। वहां की महिलाओं ने बताया कि जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो वह अपने बच्चों को ले जाकर कालिका देवी के मन्दिर में डाल देती थी और बच्चे ठीक हो जाते थे। 11 अगस्त को यह सब होने के बाद यह हुआ कि जिलाधिकारी महोदय के जानकारी में बात आ गई है, अब वह निर्णय ले लेंगे और आगे कार्रवाई हो जाएगी। वहीं पर एक ग्राम सभा एकौरा है, एस0डी0एम0 अकमल अख्तर के कहने पर ग्राम सभा एकौरा में मस्जिद बनी। इतना ही नहीं मान्यवर क्षेत्र में किशुनपुर नगर है, वहां पर वर्षों पुराना एक कब्रिस्तान है, कम से कम 10-12 बीघे की कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के चारों ओर कम से कम 10-12 फिट ऊंची बाउण्ड्री है और बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है। अब उसी बाउण्ड्री के बगल से हिन्दुओं के मकान पड़ते हैं, हिन्दुओं के मकानों को कब्रिस्तान में कायम करके वहां पर बुल्डोजर भेज दिया गया। फिर इसके बाद जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन से बात करने के बाद मैंने उसको रुकवाया और उनसे कहा कि स्टे लाइये, तब जा करके वह रुका नहीं तो बुल्डोजर भिजवा दिया था। इतना ही नहीं यह उपजिलाधिकारी, एस0डी0एम0 खागा तहसील क्षेत्र के बगल के गांव से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में गनपा गन्ते गांव के रहने वाले हैं और उनकी अधिकांश रिश्तेदारियां इसी तहसील क्षेत्र के गांवों में पड़ती हैं। चाहे जहां हो वह चले जाते हैं और जहां पर हिन्दू-मुस्लिमों के बीच आजादी के बाद उसे बिगाड़ने के प्रयास में हैं। अच्छा वातावरण रहते वहां पर दोनों में झगड़ा कराने की मानसिकता रखते हैं। इतना ही नहीं वह कहते हैं कि मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी का नजदीकी रिश्तेदार हूं। अभी पूर्व में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ तो जिला पंचायत के चुनाव में अपने रिश्तेदार जमील अहमद पत्नी जिनको अपनी साली रुखसाना बेगम बताते हैं, उनको बसपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया और प्रशासन का दुरुपयोग किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप चाहती क्या हैं ? वह मांग कीजिए।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

मान्यवर, मेरी मांग है कि इस एस0डी0एम0 को खागा तहसील से हटा दिया जाए और जांच के बाद बर्खास्त किया जाए तथा मन्दिर बनवाने के लिए कार्रवाही की जाए आदेश दिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अपनी बहन सदस्या को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने अपनी बात में कहा कि अच्छे हिन्दू-मुस्लिम रिश्तों को लोग खराब करना चाहते हैं। अच्छे रिश्ते हैं, वह खराब नहीं होने चाहिए, हमारा मिला-जुला समाज है और उसमें कहीं हिन्दू अफसर हैं, कहीं मुस्लिम, कहीं सिक्ख और कहीं इसाई अफसर हैं, सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सहनशीलता पैदा करना चाहिए, अगर

है तो उसे और बढ़ाना चाहिए। मामले को देखा जायेगा कि क्या है और उसमें बिल्कुल न्यायोचित कार्यवाही होगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी और न ही कानून के विपरीत काम करने की। कोई धार्मिक स्थल बन रहा है उसके लिये सरकार को इजाजत की जरूरत होती है। कभी-कभी बहुत पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरजाघर का जीर्णोद्धार करना होता है तो उसके लिये भी इजाजत की जरूरत होती है, इसको पूरे तौर पर देखा जायेगा। एक आश्वासन और देना चाहूंगा कि उस बदबख्त से जो मुझे अपना रिश्तेदार बताता है, आज रिश्तेदारी से तमाम रिश्ते तोड़ता हूं। मैं भुक्तभोगी हूं इस सच्चाई का कि जब नेता जी की सरकार चली गयी तो मेरे सगे-सम्बन्धियों ने यह बताना छोड़ दिया कि हम उनके रिश्तेदार हैं। यह सरकार है तो पूरा शहर मुझे अपना रिश्तेदार बताता है, यह मेरा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि आपके क्षेत्र के लोग भी रिश्तेदार बताते हैं लेकिन हम बुरे आदमी से आज से ही रिश्ता तोड़ता हूं पूरा सदन इसका गवाह है।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती कृष्णा पासवान और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र की सूचना-जनपद भदोही में भीषण आंधी तूफान व ओला वृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री सतीश महाना जी की सूचना-प्रदेश में बिजली के घोर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कानपुर का है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री राम इकबाल सिंह की सूचना-जनपद बलिया में इण्टरमीडिएट पास छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। डा0 सुशील चौधरी जी की सूचना-प्रदेश के कई जिलों में भूजल स्तर के नीचे चले जाने एवं जल संरक्षण हेतु प्रभावी योजना न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री हरि प्रताप सिंह की सूचना-जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस उत्पीड़न, बिजली, छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कर रहे धरना प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री लल्लू सिंह की सूचना-जनपद फैजाबाद एवं अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-11 वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को चर्चा हेतु पुकारा गया और श्री अम्बिका चौधरी खड़े हुए।)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम इकबाल सिंह, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री नवाब सिंह नागर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव व श्री धर्मपाल सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी कार्य-स्थगन की सूचना को सुने जाने का आग्रह करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आपका मैंने नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है। अब आसन ग्रहण करिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, नियम-51 में मत परिवर्तित कीजिए, कल सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज बजट का दिन है, कल सुन लेंगे, अब आप लोग बैठिये।

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों पर फर्जी मुकदमें लगाये जा रहे हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब आगे बढ़ गये हैं, मैंने मद संख्या-11 पुकार लिया है, अम्बिका चौधरी जी खड़े हैं।

श्री राम हेत भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुलिस हिरासत में मृत्यु का मामला है।

(श्री राम हेत भारती सदन की वेल में आ गये)

श्री राम हेत भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस हिरासत में मौत होने का मामला है। इसको सुन लीजिए।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 89,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 89,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आवास विभाग के अन्तर्गत 53,41,11,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(इसी मध्य श्री राम इकबाल सिंह, श्री राम हेत भारती, श्री नवाब सिंह नागर आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, हजारों छात्रों का मामला है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आपका छात्र-छात्राओं का था। आप इसको दूसरे दिन दीजियेगा। मैं इसको ले लूंगा। आज बजट का मामला हैं आप अपने आसन पर चलिये। अब हम आगे बढ़ गये हैं।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं हर आदमी का रोज भाषण कराऊँ यह कैसे सम्भव है ?

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से वहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल जी मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री हुकुम सिह-

मान्यवर, मैं अनुपूरक अनुदान पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने चर्चा के लिये कहा था तो आप नहीं बोले। आपको खड़ा होना चाहिए था। अब मैं आगे बढ़ गया हूं।

श्री हुकुम सिंह-

उस समय सदन व्यवस्थित नहीं था। मैं तो चर्चा के लिये तैयार था।

श्री अध्यक्ष-

आप खड़े हो जाते तो मैं चर्चा करा देता।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, हमारे यहां का किसान बरबाद हो रहा है। उनकी जमीन का मामला है और आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसन पर चलिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 53,41,11,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग, वस्त्राद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,01,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं खड़ा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,01,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी टण्डन-

श्री अध्यक्ष जी, मुझे सुनने के लिये कोई समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल जी मैंने तो पहले ही कहा था कि क्या चर्चा करना चाहते हैं ? उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई बोला नहीं। आपके विधायकगण शोर मचाने लगे। जब आप बोले नहीं, तो मैं आगे बढ़ गया।

श्री हुकुम सिंह-

आप हमें बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, रिकार्ड उठाकर देख लें आप सबसे ज्यादा बोलते हैं।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) के अन्तर्गत 20,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(व्यवधान जारी)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अगर चर्चा नहीं हो सकती है तो यहां बैठना निरर्थक है। अतः मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) के अन्तर्गत 20,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 69,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 69,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 22,71,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 22,71,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 33,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 33,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 1,06,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 1,06,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 5,00,17,60,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 5,00,17,60,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) 2,27,87,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) 2,27,87,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं धमार्थ मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 11,08,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 11,08,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 98,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 98,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 30,80,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 30,80,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 4,09,45,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 4,09,45,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, , मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,51,36,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) 4,51,36,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, , मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 21,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 21,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 46,60,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 46,60,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 21,92,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 21,92,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,47,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,47,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 3,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 3,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,81,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,81,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-22, खेल विभाग

खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 21,20,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 21,20,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 11,56,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 11,56,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,15,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,15,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 21,04,98,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 21,04,98,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,25,04,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,25,04.95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 91,96,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 91,96,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,90,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,90,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 4,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 4,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,06,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,06,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,00,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,00,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 26,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 26,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,71,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,71,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 64,77,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 64,77,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,22,27,45000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,22,27,45000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 17,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 17,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 2,12,72,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 2,12,72,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 21,64,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41 न्याय विभाग के अन्तर्गत 21,64,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 12,99,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 12,99,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 80,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 80,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,21,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,21,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग

राजस्व मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 1,92,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 1,92,000 रुपये की द्वितीय **अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष** 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल **की सिफारिश से** यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत **5,91,000 रुपये** की द्वितीय **अनुपूरक मांग** वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 5,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, , मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,76,41,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,76,41,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, , मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,57,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,57,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,95,75,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,95,75,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, , मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 30,00,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 30,00,94,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 6,00,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 6,00,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-53, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 19,31,80,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 19,31,80,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 12,59,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 12,59,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन)

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 22,36,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 22,36,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 3,98,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 3,98,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,03,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,03,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,10,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,10,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 1,70,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 1,70,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,65,99,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,65,99,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 2,32,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 2,32,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 15,34,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 15,34,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 31,63,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 31,63,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 14,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 14,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,18,22,43,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,18,22,43,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 59,48,52,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 59,48,52,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 15,43,08,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 15,43,08,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,17,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,17,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,08,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,08,05,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,98,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,98,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,42,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,42,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 52,24,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 52,24,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 11,67,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 11,67,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 9,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 9,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 32,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 32,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 19,88,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 19,88,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-85, सार्वजिनक उद्यम विभाग

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 4,40,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 4,40,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग के अन्तर्गत 30,44,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग के अन्तर्गत 30,44,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 16,73,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 16,73,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

कर एवं निबन्धन राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 5,07,66,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 5,07,66,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 21,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 21,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,73,82,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,73,82,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 2,66,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 2,66,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 21,22,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 21,22,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 50,00,75,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 50,00,75,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक), विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, विनियोग विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर विचार रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-2007 के लिए जो द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांग मांगी है, उसमें चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, यह स्वभाविक है कि तकनीकी रूप से अनुपूरक अनुदानों का वित्तीय व्यवस्था में प्राविधान है। आप तो विद्वान है, यह जानते है कि कोई भी सरकार अनुपूरक अनुदान लेती है तो राजकोषीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है। ऐसे जो मूल बजट है साल का वार्षिक परिव्यय है, अगर उसमें कोई मांग नई बढ़ती है, जिसके लिए आकस्मिकता निधि से धन लेते है तो उसकी प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से इस सदन के समक्ष राज्य सरकार को अनुपूरक अनुदान लाना होता है, या कोई ऐसी योजना हो, धन उपलब्ध हो लेकिन इसके बावजूद योजना के आकार में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो उसकी स्वीकृतियों के लिए सदन में आना आवश्यक है तो उसे प्रतीक मांग के रूप में ले करके सदन के समक्ष आते हैं। सरकार ने द्वितीय अनुपूरक अनुदान रुपये 28,82,70,24,000 का प्रस्तुत किया है। यह अनुपूरक अनुदानों की मांग पारित तो होगी ही। आपको याद होगा मई माह में जब प्रथम अनुपूरक अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोलह सौ उन्नीस करोड़ इक्वावन लाख प्रस्तुत हुआ था। इन दोनों अनुपूरक अनुदानों को मिलाकर चार हजार दो सौ तीस करोड़ बयासी लाख धनराशि की राज्य सरकार स्वीकृतियां ले करके आ रही है, जिसको सदन से पारित करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, काफी मोटा है, 234 पृष्ठ हैं, आपने तो पढ़ा होगा, बिना एक-एक पृष्ठ पढ़े और आपकी अनुकम्पा के बिना सदन के पटल पर रखा नहीं जा सकता। 234 पृष्ठ से ज्यादा में उदारतापूर्वक की गयी योजनाओं के समावेश मिले है जो बजट प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं थे। जैसे चाहे सीतापुर में प्रेक्षागृह, उरई में मेडिकल कालेज बनाने के लिए हो और प्रदेश के तमाम हिस्सों के लिए कोई योजना हो। मैंने भी माइक्रोस्कोपिक ढंग से छिद्रान्वेषण किया है, 234 पृष्ठ में जनपद-बस्ती, सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर के लिए किसी एक योजना का समावेश नहीं है, बस्ती मण्डल के लिए 234 पृष्ठों में किसी योजना का समावेश नहीं है। बजट को पारित करते हैं, अनुपूरक अनुदानों को पारित करते हैं, हमारी भी अपेक्षायें हैं कि बस्ती मण्डल है, उसमें रहने वाले लोगों की अपेक्षायें हैं। जब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे है तो उत्तम प्रदेश में निश्चित रूप से राज्य के बजट का कुछ हिस्सा मिले। पिछली बार प्रथम अनुपूरक अनुदान की चर्चा में मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था तो मैंने दो बार हस्तक्षेप करके कहा कि निश्चित रूप से मैं, ऑल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई में बन रहा है, उसका स्वागत करता हूं, मैंने कोई आलोचना नहीं की थी इसीलिए कि लखनऊ जैसा ऑल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है, तो मुझ जैसा ग्रामीण पृष्ठ-भूमि का व्यक्ति उसका स्वागत करेगा। सैफई में बन रहा है या अन्य जनपदों-कन्नौज, उरई में मेडिकल कालेज खुल रहा है। मस्तिष्क ज्वर की चर्चा हुई, सर्वाधिक बीमारियां हमारे यहां हैं, वायरल रिसर्च सेण्टर की आधार शिला रखी गयी थी। मान्यवर, पिछले वर्ष के अनुपूरक अनुदान जब आये थे तो मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि जब आपने सेटेलाइट अस्पतालों की कल्पना की है तो वह एक अच्छी कल्पना आपने की है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर इतना लम्बा भाषण नहीं चलता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, विनियोग विधेयक जब प्रस्तुत होता है तो उस पर चर्चा का अवसर होता है। दुर्भाग्य से भा0ज0पा0 को, ब0स0पा0 को चर्चा में अगर कोई रुचि नहीं हैं कि किस तरह का बजट आ रहा है और किन-किन मदों पर खर्च हो रहा है तो मान्यवर, कांग्रेस पार्टी को तो रुचि है। हम चाहेंगें कि हमें आपकी कृपा से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर मिला है तो हम उन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करेंगें जो जरूरी है। यह हमारा दायित्व है और कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 195 को आप पढ़ लेगें तो उसमें है- अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की व्याप्ति- इसमें है कि "अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।" यह नियम-195 में है। केवल जिस मद की कोई व्याख्या की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी कर लें। यह मूल बजट नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कोई आलोचना कर रहा होता, कोई असंसदीय बात कह रहा होता तो आप मेरी जबान पर प्रतिबंध लगा देते लेकिन यदि मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं तो कृपापूर्वक आप मुझे समय दीजिये। एक फैसला है कि हर मंडल मुख्यालय पर हम 20 घंटे बिजली देंगें।

श्री अध्यक्ष-

यह इससे सम्बन्धित कहां है, यह अनुपूरक अनुदान हैं। अनुपूरक अनुदान में जो स्पष्ट नहीं हो रहा है उसकी व्याख्या के लिये आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

अनुपूरक अनुदानों में सरकार जिन मदों को लेकर आयी है, उन मदों की अपेक्षाओं का कारण बताती है कि हम इन योजनाओं को लेकर आये हैं और इन पर पैसा खर्च करेंगें। मान्यवर, हमारा कहना है कि हमारे जनपद में भी आवश्यकता है उसके बारे में हम प्रकाश डालेगे। आपकी कांस्टूटीट्यैंसी में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे वहां पर उन्होंने एक शुगर मिल की आधारशिला रखी और आज तक उस चीनी मिल पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यह सवाल आप पूछते लेकिन आप उस सीट पर बैठे हैं आप वहां से कह नहीं सकते हैं आप चाहेंगे कि मेरे माध्यम से वह बात कही जाय।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहें, खत्म करिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पिछले 3 वर्षों में हमने हमेशा बजट में सहयोग किया, अनुपूरक अनुदानों में किया। पिछली बार जब मैंने मेडिकल कालेज की बात उठायी थी तो हमने पूर्वान्चल के बारे में कहा था, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बस्ती के ओपेक हास्पिटल, मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में अलग से वार्ता कर लेंगे लेकिन आज तक वह वार्ता नहीं हो पायी। यह हमारा है कि पूर्वान्चल में, उन मण्डलों में जहां पर कहीं भी स्वास्थ्य सेवायें नहीं हैं, तो वहां पर मेडिकल कालेज बनाने के बारे में मुख्य मंत्री जी की क्या राय है। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था और हमें उम्मीद थी कि बस्ती मण्डल में एक मेडिकल कालेज बनाया जायगा। वहां पर मण्डल मुख्यालय हो गया है लेकिन उसके लिये जो मूलभूत सुविधायें चाहिए वह नहीं हैं। कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 के लिये कोई कार्यलय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप विषयांतर हो रहे हैं, एक-एक लाइन की थोड़े ही व्याख्या होगीं ।

श्री जगदम्बिका पाल-

भारतीय जनता पार्टी चली गयी, अपनी सरकार में उन्होंने बड़ा पत्थर लगाया कि हम बस्ती में विकास प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष-

आप विषयांतर हो रहे हैं। यह अनुपूरक अनुदान है, मूल बजट नहीं है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

आपका आशय यह है कि भा0ज0पा0 का टाइम आपको दे दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बड़ा बजट बड़ा भाषण छोटा बजट छोटा भाषण। पाल साहब बस्ती पर हैं। बस्ती में ही बस्ती है। बस्ती के आगे बस्ती और बाद में बस्ती।

मत्स्य, अर्थ एवं संख्या तथा प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश सिंह)-

पाल साहब बस्ती के बारे में बोले लेकिन जहां से चुनाव लड़े दुनियां की विख्यात कपिल वस्तु महा योजना भूल गये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि पाल साहब वरिष्ठ नेता हैं वरिष्ठ सदस्य भी हो गये हैं। मुख्य मंत्री बनाने में सहयोग था लेकिन वह थोड़े समय बाद हटा दिये गये वह अलग बात हैं उनको हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। मैं पाल साहब को बताना चाहता हूं कहीं भी भेदभाव किसी भी क्षेत्र के साथ नहीं किया गया। पूरे सदन में कहा गया कि हमें इतनी सड़कें चाहिए हमने उतनी सड़कें दी, 7 कि0मी0 सड़क हर सदस्य को दी। जितने हैण्ड पम्प मांगे गये, उतने हैण्ड पम्प दिये कहीं पक्षपात नहीं है। यह पहली सरकार है जिसमें पक्षपात नहीं हुआ, नहीं तो पूर्व में एक-एक हैण्डपम्प के लिये तरस गये वह भी राज था। आप भी परेशान थे हम भी परेशान थे। लेकिन इस सरकार में कोई पक्षपात नहीं है। हमने कहा कि उत्तम प्रदेश बनायेंगे तो उसमें पूरे प्रदेश का विकास एक साथ होगा हमने यह जरूर सोचा कि सभी 70 जिलों का एक साथ विकास करने के बजाय 35 जिले इस साल ले लें और बाकी 35 जिले अगले साल ले लें। अगले बजट में वहां का विकास हो यह सदन ने भी स्वीकार किया और उस आधार पर कुछ काम हुआ है वह दिखाई पड़ेगा कहीं पक्षपात नहीं है। जो चार नये मेडिकल कालेज बनाये गये हैं वह उन क्षेत्रों में बनाये गये हैं जो अति पिछड़े हैं जिसको योजना आयोग ने भी माना है और पहले भी कमीशन बैठा था उसके भी यही विचार थे। एक तो इसमें शुरू हो गया है सैफई में दूसरा मेडिकल कालेज कन्नौज में जहां की सुगन्ध दुनियां में मशहूर है। यह क्षेत्र ऐसा पिछड़ा था कि वहां डा0 राम मनोहर लोहिया जी साइकिल पर चलते थे। तीसरा जालौन जो कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। आजमगढ़ आपका इलाका है आपके शहर बस्ती से थोड़ी दूर पर गोरखपुर मेडिकल कालेज है हमने उन जगहों पर मेडिकल कालेज खोले जो दूरी पर हैं, जहां ज्यादा जरूरत है। आगे बजट आयेगा तो हम कोशिश करेंगे कि मण्डल स्तर पर यहां भी हो जाय। पाल साहब विद्वान सदस्य हैं लेकिन प्रमोद कुमार जी होशियार हैं। आप जल्दी जल्दी खड़े होकर गम्भीरता को कम करदेते हैं। हर वक्त न खड़े हुआ करिये। मैं चुपचाप बैठा रहता हूं। कितना लोग बोल जाते हैं लेकिन मैं वक्त पर बोलता हूं आप गम्भीरता और संयम रखिये पहले बहुत अच्छा बोलते थे। यह सच है, मैं बता दे रहा हूं सही कह रहा हूं। तब आप ज्यादा नहीं खड़े होते थें जब बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। अब हर समय खड़े हो जाते हैं। मैं यही कहूंगा जगदम्बिका पाल जी से कि कही कोई पक्षपात नहीं करेंगे। न बस्ती के साथ, न सिद्धार्थनगर के साथ, न संत कबीर नगर के साथ। पूरे मण्डल के साथ कहीं कोई पक्षपात नहीं करेंगे। आप भले ही मुझसे करते हों कुछ विवाद लेकिन हम

कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई पक्षपात होता दिखाई देता है तो आप हमको टोकिये, हम उसको दूर करेंगे। अब हम यही चाहेंगे कि आप इसको पास करायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

हां विचार रख दिया था। मद संख्या-14 पर आप विचार रख चुके थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पहले नेता जी को तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल रहे थे और फिर बैठ गये तो मैंने मान लिया कि आप बोल चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने उनकी बात का जवाब दिया था। कागज ढूंढने में थोड़ी देर हो गयी थी। अब मैं अपनी बात रख देता हूं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु किसानों के नलकूप कनेक्शन एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर यदि बिजली के बिल का मूलधन एक मुश्त जमा किया जाता है तो समस्त ब्याज माफ कर दिया जायेगा। यह योजना 1 सितम्बर से लेकर 31 दिसम्बर तक (मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को यह सूचित करना है कि सरकार से अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लिये जाने हेतु मांग लगातार आ रही है। पिछले 8 सालों में एक भी ऐसा विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है। पिछली सरकारों में भी इस तरह की मांग आती रही पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अशासकीय स्थाई मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक को बढ़ाने हेतु समर्पित भाव से काम कर रहे थे। इन विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं को लेकर हमने निर्णय लिया है कि 1 हजार अशासकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा। (मेजें थपथपाई गईं।) जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित और खास तौर से अभावग्रस्त ग्रामीण इलाकों में कार्यरत उन माध्यमिक विद्यालयों को लाभ होगा। जिससे प्रदेश के शैक्षिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि हम ऐसे 1984 से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत रहने के बाद भी जिन्हें सरकारी वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे 11 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। वास्तव में यह एक ऐसा फैसला है, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अति हर्ष है कि प्रदेश शासन द्वारा लिया गया यह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक निर्णय है ऐसा कभी भी इतनी संख्या में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक साथ अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय किसी भी सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। (मेजें थपथपाई गईं।) धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-14 पुकारे जाने पर श्री मोहम्मद आजम खां के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप पहले प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं रखूंगा। मान्यवर।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2006-2007 के लिये 2882,70,24,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग 2882,70,24,000 रुपये (दो हजार आठ सौ बयासी करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	8917	...	8917
		पूंजी :	...	...	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	4111	...	4111
		पूंजी :	530000	...	530000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	10169	583	10752
		पूंजी :	...	...	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	2042	...	2042
		पूंजी :	...	...	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	6921	...	6921
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	2271	...	2271
		पूंजी :	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	3330	...	3330
		पूंजी :	...	...	0
08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व :	10633	...	10633
		पूंजी :	...	...	0
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	5001760	67	5001827
		पूंजी :	...	...	0
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	22787	60	22847
		पूंजी :	...	...	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	94894	...	94894
		पूंजी :	16000	...	16000

1	2		3		
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	9868	...	9868
	विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	208078	...	208078
	विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	100000	...	100000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	35945	...	35945
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी :	5000	...	5000
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	45136	...	45136
	विभाग (पशुधन)	पूंजी :	...	...	0
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	2130	...	2130
	विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	4660	...	4660
	विभाग (मत्स्य)	पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	219221	...	219221
	विभाग (सहकारिता)	पूंजी :	...	...	0
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा	राजस्व :	347	...	347
	अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा	राजस्व :	394	6828	7222
	आयोग)	पूंजी :	...	5000	5000
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	38138	...	38138
		पूंजी :	...	...	0
22	खेल विभाग	राजस्व :	2120	...	2120
		पूंजी :	...	...	0
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	15662	...	15662
		पूंजी :	...	...	0
24	गन्ना विकास विभाग	राजस्व :	1561	...	1561
	(चीनी उद्योग)	पूंजी :	...	...	0
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	23625	...	23625
		पूंजी :	186873	...	186873

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	:	650495	...	650495
		पूंजी	:	600000	...	600000
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	:	9196	...	9196
		पूंजी	:	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	69090	...	69090
		पूंजी	:	...	...	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	:	...	680	680
		पूंजी	:	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	207	...	207
		पूंजी	:	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	:	4	...	4
		पूंजी	:	...	...	0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	:	2004	...	2004
		पूंजी	:	18605	...	18605
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	:	21	...	21
		पूंजी	:	40000	...	40000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	:	26	...	26
		पूंजी	:	...	...	0
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	:	117178	...	117178
		पूंजी	:	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	:	90213	...	90213
		पूंजी	:	557504	...	557504
38	नागरिक उड्यन विभाग	राजस्व	:	22744	...	22744
		पूंजी	:	1200001	...	1200001
39	भाषा विभाग	राजस्व	:	1705	...	1705
		पूंजी	:	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व	:	57235	...	57235
		पूंजी	:	2069984	...	2069984

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3				
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	:	216412	...	216412
		पूंजी	:	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	:	101905	14000	115905
		पूंजी	:	28000	...	28000
43	परिवहन विभाग	राजस्व	:	8025	...	8025
		पूंजी	:	...	...	0
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	:	2597	...	2597
		पूंजी	:	9600	...	9600
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	:	192	...	192
		पूंजी	:	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	:	591	...	591
		पूंजी	:	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	:	17641	...	17641
		पूंजी	:	...	...	0
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	:	15721	...	15721
		पूंजी	:	...	...	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	:	3957568	800	3958368
		पूंजी	:	...	...	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	:	50094	...	50094
		पूंजी	:	250000	...	250000
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	:	60097	...	60097
		पूंजी	:	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	183180	...	183180
		पूंजी	:	10000	...	10000
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	:	125969	...	125969
		पूंजी	:	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	:	...	...	0
		पूंजी	:	15000	...	15000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व	:	...	...	0
		पूंजी	:	1000000	...	1000000

1	2			3		
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व	:	...	...	0
		पूंजी	:	3000000	...	3000000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	:	99600	...	99600
		पूंजी	:	124010	...	124010
60	वन विभाग	राजस्व	:	39806	...	39806
		पूंजी	:	...	...	0
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	362	3751989	3752351
		पूंजी	:	250000	...	250000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	:	21009	...	21009
		पूंजी	:	...	...	0
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	:	170	...	170
		पूंजी	:	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	:	16599	...	16599
		पूंजी	:	...	...	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	:	232	...	232
		पूंजी	:	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	:	1534	4	1538
		पूंजी	:	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	:	2847	5	2852
		पूंजी	:	316	...	316
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	:	1427	...	1427
		पूंजी	:	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	:	1182243	...	1182243
		पूंजी	:	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	:	594852	...	594852
		पूंजी	:	...	...	0
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	:	151308	...	151308
		पूंजी	:	3000	...	3000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	:	11761	...	11761
		पूंजी	:	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	:	20805	...	20805
		पूंजी	:	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	:	19820	...	19820
		पूंजी	:	2	...	2
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	:	84295	...	84295
		पूंजी	:	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	:	5224	...	5224
		पूंजी	:	...	...	0
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	:	116712	...	116712
		पूंजी	:	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	:	906	...	906
		पूंजी	:	...	...	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	:	3200	210	3410
		पूंजी	:	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	:	1987	...	1987
		पूंजी	:	1	...	1
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	:	100	...	100
		पूंजी	:	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	:	440	...	440
		पूंजी	:	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व	:	304461	...	304461
		पूंजी	:	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	:	1673	...	1673
		पूंजी	:	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	:	503	...	503
		पूंजी	:	...	...	0

सत्यमेव जयते संसद

1	2		3		
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	50766	...	50766
		पूंजी :	...	...	0
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	राजस्व :	2142	...	2142
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	7382	...	7382
		पूंजी :	10000	...	10000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	2415	...	2415
		पूंजी :	24199	...	24199
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	37138	5000	42138
		पूंजी :	175079	...	175079
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	500075	...	500075
	योग :	राजस्व :	14318549	3780226	18098775
		पूंजी :	10723249	5000	10728249
	महायोग :		25041798	3785226	28827024

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्दद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 अगस्त, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना श्री मस्त राम की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-जे, जानकीपुरम्, लखनऊ में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में चल रहे वैधानिक/अवैधानिक (कट्टीघर), गो-हत्या के केन्द्र को बंद कराने एवं गोशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

तीसरी श्री कौशल किशोर की जनपद-लखनऊ स्थित मलिहाबाद विकास खण्ड स्थित बेतवा-नाले पर पुल का निर्माण एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौथी श्री अशोक सिंह चौहान की जनपद-मैनपुरी में छात्राओं द्वारा प्रवेश न मिलने के कारण किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं श्री सोमारू राम सरोज की प्रदेश में जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु नोटरी शपथ-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

छठीं श्री राकेश सचान की लखनऊ स्थित देवस्थानम् आवासीय कालोनी पर अराजकतत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

सातवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में 4डी(2) में कार्यरत लिपिक व वैयक्तिक सहायक द्वारा लूट-खसोट एवं दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में,

आठवीं श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद-आजमगढ़ स्थित निजामाबाद रजवाहा में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

नवीं श्री लालजी वर्मा की जनपद-अम्बेडकर नगर के टांडा स्थित मोहल्ला-मीरानपुरा में अचानक हुए अग्निकाण्ड में मृत परिवारवालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

दसवीं श्री प्रमोद कुमार की जनपद-सीतापुर स्थित महाराजा छीता पासी के किले के पुराने भग्नावेशों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में,

ग्यारहवीं श्री पूर्णमासी देहाती की मऊ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित श्रीमती रेखा गुप्ता की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में,

बारहवीं श्री आलम बदी की जनपद-आजमगढ़ स्थित सेतु निगम द्वारा पुलों के निर्माण-कार्य में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में,

तेरहवीं श्री अमर सिंह परमार की जनपद-आगरा में पेंयजल हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य क्षेत्र में शासनादेश के अनुकूल धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

चौदहवीं श्री हुकुम सिंह की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को धन आवंटित किये जाने के कारण प्रदेश की नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

पन्द्रहवीं श्री वीरेन्द्र सिंह 'मुन्ना' की जनपद-फैजाबाद निवासी के ग्राम रूहियावां ऊंचे गांव निवासी श्री सफीक अहमद की जमीन का फर्जी बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में,

सोलहवीं श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की जनपद-झांसी स्थित स्थानीय निकाय केन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

सत्रहवीं श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद-सुल्तानपुर में सांसद निधि की छः वर्ष से अधूरी सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में,

अट्ठारहवीं श्री रणवीर राणा की प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के कारण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

उन्नीसवीं श्री नवाब सिंह नागर की जनपद-गौतमबुद्ध नगर के गांव जारचा में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में,

बीसवीं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जनपद-इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर में सीवर का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

इक्कीसवीं श्री शिव तपस्या पासवान की प्रदेश में सीनियर बेसिक विद्यालयों को अनुदान सूची में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

बाइसवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद-आगरा की प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

तेईसवीं श्री सुन्दर सिंह की जनपद-बुलन्दशहर में प्राइवेट बस से दिनांक 12-08-06 को 20 वर्षीय बालक की कुचल कर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

चौबीसवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ महानगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

पच्चीसवीं श्री हरि प्रताप सिंह की जनपद-प्रतापगढ़ स्थित नगर कोतवाली अन्तर्गत श्री विजय सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में,

छब्बीसवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की आयुर्वेद विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 की पी0 जी0 प्रवेश परीक्षा हेतु अभी तक तिथि की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

सत्ताईसवीं श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की जनपद-लखनऊ स्थित फैजुल्लागंज वार्ड में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

अट्ठाईसवीं श्रीमती कृष्णा पासवान की कानपुर नगर निगम द्वारा सुअरों को पकड़वाने एवं गंदगी को साफ न कराये जाने के सम्बन्ध में,

उन्तीसवीं श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराये जाने एवं चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

तीसवीं डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद-गोरखपुर स्थिति बन्द तारामण्डल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

इकतीसवीं डा0 विनोद तिवारी की जनपद-पीलीभीत की पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

बत्तीसवीं श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा द्वितीय किश्त जारी न होने के कारण अधूरे पड़े कार्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

तैंतीसवीं श्री चन्द्र किशोर की जनपद-महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

चौंतीसवीं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद-रायबरेली स्थित जवाबगंज-जमोड़ी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

श्री सदल प्रसाद,

श्रीमती विद्या चौधरी,

श्री राजपाल सिंह बालियान,

श्री जियाउद्दीन रिजवी,

श्री विश्राम सिंह यादव,

श्री धर्मपाल सिंह,

श्री कालीचरन राजभर,

श्री रामहेत भारती,

डा0 सुशील चौधरी,

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर,

श्री बीजू पटनायक,

श्री राजेश कुमार,

श्री रंगनाथ मिश्र,

श्री प्रागी लाल अहिरवार,

श्री दिलीप कुमार वर्मा,

श्री मुंशीलाल गौतम,

श्री सुरेश कुमार खन्ना,

श्री मदन चौहान,

डा0 यशवन्त सिंह,

श्री राम करन आर्य,

श्री मस्त राम,

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा

श्री कौशल किशोर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 24 अगस्त, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30-31 पर)

जनपद प्रतापगढ़-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2006 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर की संलग्न सूची

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम
1	कोहड़ौर गौरी पट्टी मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
2	रेडी गारापुर गोविन्दपुर धुई मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
3	प्यारेपुर गौसपुर मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
4	पट्टी बाईपास बीबीपुर दशरथपुर मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
5	मदारपुर धरौली बकुलाई मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
6	अमरगढ़ बैजलपुर मार्ग खरहिया गोविन्दपुर मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
7	रामकोला लालगंज सराय मघई दाउदपुर बंधवा मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
8	रेडीगारापुर गोविन्दपुर परसद मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
9	कसा पट्टी नहदहा बेला चांदा पट्टी मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
10	रेडीगारापुर से उसरौली मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
11	गहबरा सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
12	अरैला घाट पट्टी महरूपुर मार्ग	प्र0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़
13	बभनपुर रघईपुर दमड़ी सम्पर्क मार्ग	ग्रामीष्य अभियंत्रण सेवा
14	तरदहा लोनियापुर बेलसण्डी असुढी और गडौर सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
15	नोही ढिढुही सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
16	चिंतामणी पुर अन्देवरी मुजाही सम्पर्क मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
17	आनापुर बेलसण्डी असुढी पूरे सनाथ गडौरी चन्दापुर अपाही सम्पर्क	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
18	कटारी कंजास का शेष भाग एवं साल्हीपुर कुर्रा भौसिया ईसापुर मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
19	बारीकला परसण्डी धरौली सिकरी मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

20	डांडर अतरौला भाटी कला मार्ग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
21	भीखमपुर तेलियानी लखनूडीह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
22	धुई नाले पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग निर्माण	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
23	उसका में परैया नाले पर पुलिया निर्माण	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 225 विधान सभा (377)-27-11-2006-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।